दिसम्बर 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

प्रमुख सम्पादक
देवेन्द्र जोशी

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

वित्तीय समावेशन में सहकारिता

इस अंक में

खास खबरें : मध्यप्रदेश में मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान 3
आयोजन : आयुर्वेदिक धरोहर सौंपने का संकल्प 10
विशेष लेख - ग्राम विकास : जरूरत है आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था की 12
ग्राम विकास : स्मार्ट है सीहोर जिले की बोरदीकला ग्राम पंचायत 20
स्वच्छ भारत : स्वच्छ मध्यप्रदेश का सपना होगा साकार 25
सफल गाथा : सकरीगढ़ बना जिले का पहला खुले में शौच मुक्त ग्राम 28
साक्षात्कार : सांसद श्री आलोक संजर 29
विशेष लेख : गांधी जी का ग्राम स्वराज - स्मार्ट ग्राम - स्मार्ट पंचायत से समग्र विकास 31
कार्यशाला : सशक्त नेतृत्व से ग्रामीण अंचलों की बदलें तस्वीर 34
मनरेगा : कपिलधारा कुओं से एक हजार करोड़ सालाना अतिरिक्त आमदनी 35
सम्मान : निशक्तजन पुनर्वास सेवा के लिए होशंगाबाद जिले को पुरस्कार 37
अच्छी पहल : बच्चों में कुपोषण दूर करने की पहल - वात्सल्य 38
प्रयास : सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का संकल्प 39
पंचायत : पंचायती राज में गोचर भूमि 46
पंचायत गजट : जिला एवं जनपद पंचायत निधि से राशि का आहरण 48

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

खेती किसानी प्राचीन समय से ही हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार रही है। बदलते वक्त में लगभग हर काम वैज्ञानिक पद्धति से होने लगा है, ऐसे में कृषि इससे कैसे अछूती रह सकती है। वर्तमान समय में मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं का कृषि पर प्रभाव पड़ता साफ दिख रहा है। ऐसे में कृषि को आधुनिक बनाना और बचाव के उपाय तलाशना जरूरी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और मिट्टी बचाने का अभियान चलाया है जिससे किसान मिट्टी के अनुकूल फसल ले सकें। इस खबर को हमने 'खास खबरें' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश वन सम्पदा से भरपूर है। प्रदेश में वन से प्राप्त वनोपज को जन-जन तक पहुँचाने और उनके गुणों से परिचित करवाने के लिए भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया। इस खबर को 'आयोजन' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। मध्यप्रदेश में गाँवों को शहरों की भांति विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट गांव स्मार्ट पंचायत योजना चलाई जा रही है। इस जानकारी को 'विशेष लेख - ग्राम विकास' स्तंभ में लिया गया है। सीहोर जिले के इछावर जनपद की ग्राम पंचायत बोदरीकलां ने स्मार्ट गांव-स्मार्ट पंचायत की परिकल्पना को साकार कर ग्राम विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। इसकी जानकारी 'ग्राम विकास' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। इसी स्तंभ में हमने सीहोर जिले के जिला कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष का साक्षात्कार भी प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस बहुआयामी अभियान के तहत मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को साफ-स्वच्छ रखने के प्रयास अब मूर्तरूप लेने लगे हैं। गांव-गांव में स्वच्छ वातावरण बनने लगा है। इस पर आधारित जानकारी को हमने 'स्वच्छ भारत' स्तंभ में प्रकाशित किया है। 'साक्षात्कार' स्तंभ में हमने भोपाल सांसद श्री आलोक संजर से सांसद आदर्श ग्राम योजना पर हुई बातचीत के अंश प्रकाशित किए हैं। विगत दिनों भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्षों के क्षमतावर्धन के लिए एक कार्यशाला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई जिसे 'कार्यशाला' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। होशंगाबाद जिले को निशक्तजनों के पुनर्वास के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस जानकारी को 'सम्मान' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। प्रदेश में वृद्धजन कल्याण और निशक्तजन कल्याण के लिए सतत् उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। 'प्रयास' स्तंभ में हमने इसी जानकारी को प्रकाशित किया है। और अंत में जिला और जनपद पंचायत में पंचायत निधि से राशि आहरण करने की जानकारी को 'पंचायत गजट' में प्रकाशित किया गया है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

मध्यप्रदेश में मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रांगण भोपाल में 5 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस पर किसान महा सम्मेलन और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड वितरण समारोह में उन्होंने किसानों से अपने-अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अच्छी खेती के लिये मिट्टी बचाने और मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जायेगा। किसानों की सहूलियत के लिये हर विकासखण्ड में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण लेब की स्थापना होगी। मिट्टी भी बीमार होती है और इसे भी इलाज की जरूरत होती है। व्यक्ति की तरह मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसके लिए मिट्टी के स्वास्थ्य का कार्ड होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कुछ किसानों को प्रतीक स्वरूप मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड देकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 दिसम्बर को सवा लाख मृदा परीक्षण कार्ड किसानों को दिए गए।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सोलर पम्प लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए 6 लाख कीमत के सोलर पम्प पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए चल रही छोटे-छोटे अनुदान वाली अप्रभावी योजनाएँ बंद की जायेंगी और इनका पैसा बड़ी योजनाओं में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडियों में फल-सब्जी बेचने का स्थान सुरक्षित किया जाएगा। फल-सब्जियों का रूट बनाया जाएगा। खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार जिद् और जुनून के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण का मिशन चलाने और मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड बनाने का अभियान चलाने के लिए धन्यवाद देते हुए श्री चौहान ने कहा कि धरती के अंधाधुंध और अतार्किक दोहन से असंतुलन पैदा हो गया है। इसे दूर करना सबका काम है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी का पता चलेगा और सही मात्रा में उर्वरक एवं पानी के उपयोग की भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने किसानों से नरवई नहीं जलाने का आव्हान करते हुए कहा कि इससे मिट्टी भी जल जाती है। किसान फसल चक्र बदलने और उद्यानिकी फसलें लेने पर भी ध्यान दें।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को स्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन दिया जाएगा। वर्तमान में एक हॉर्स पॉवर पर सालाना 25 हजार का अनुदान दिया जा रहा है। हर खेत को पानी पहुँचाने का काम पूरा हो रहा है। एक दशक पहले सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर थी। अब 36 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इसी प्रकार पहले 18 प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को लोन मिलता था अब बिना ब्याज के लोन मिल रहा है। अगले साल से खाद-बीज के लिए एक लाख रुपए का लोन लेने पर किसानों को सिर्फ 90 हजार रुपए ही लौटाना पड़ेगा। किसानों के संकट की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। सब मिलकर संकट से बाहर निकल आएंगे।

इस अवसर पर किसान कल्याण और

कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण से जहाँ खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी वहीं उर्वरता भी बढ़ेगी। मिट्टी एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी रक्षा करना सबका कर्त्तव्य है। मध्यप्रदेश में रासायनिक खाद की खपत 82 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि पंजाब जैसे अन्य राज्यों में यह 175 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गई है।

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के निदेशक श्री अशोक के. पात्रा ने मृदा परीक्षण मिशन की जानकारी दी। प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि अगले दो साल में अभियान चलाकर एक करोड़ मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड किसानों को दिए जाएंगे। प्रत्येक तीन साल में फिर से मिट्टी परीक्षण होगा। उन्होंने बताया कि गाँव-गाँव में खेतों की उर्वरता का आकलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक श्री विश्वास सारंग, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री अरुण पाण्डे और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

मनरेगा में सात लाख रोजगारमूलक काम

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मनरेगा श्रमिकों के लिये करीब 7 लाख रोजगारमूलक काम का इंतजाम किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने एक दिसम्बर को भोपाल में बताया कि इससे जरूरतमंदों को गाँव में ही काम मुहैया कराया जा सकेगा। मनरेगा श्रमिकों के लिये प्रदेश की ग्राम पंचायतों में करीब पौने छः लाख हितग्राहीमूलक तथा सवा लाख सामुदायिक काम शुरू किये जा रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों को ग्राम पंचायत में चल रहे कार्यों की सूचना घर-घर जाकर देने का भी इंतजाम किया गया है ताकि सूखा प्रभावित अंचलों सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी जरूरतमंद रोजगार से वंचित न रहे। इन सारे कामों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी कर काम खोले जाने के निर्देश सभी जिलों को दिये गये हैं।

ग्राम पंचायतों में 5 सामुदायिक एवं 25 हितग्राहीमूलक काम शुरू कर श्रमिक को काम मुहैया करवाने की कार्यवाही मैदानी अमलों को समय-सीमा में करने के निर्देश

प्रदेश स्तर से दिये गये थे। इसके मुताबिक तीस नवम्बर से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 सामुदायिक एवं 25 हितग्राहीमूलक कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तैयार करना था और श्रमिकों के घर-घर जाकर प्रिय मित्र पत्र देकर चल रहे कामों की जानकारी देना थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन कम से कम 50 मजदूर कार्यरत रहने की अपेक्षा की गयी थी। मनरेगा परिषद द्वारा जारी निर्देशों में यह भी कहा गया था कि जिन ग्राम पंचायतों में यह कार्यवाही नहीं होगी उन ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक तथा संबंधित उप यंत्री को जिला स्तर पर स्पष्टीकरण देना होगा। इसी तरह जिन जनपदों की 5 से अधिक ग्राम पंचायतों में लक्ष्य हासिल नहीं किया जायेगा वहाँ के जनपद सीईओ तथा सहायक यंत्री को संभागीय मुख्यालय पर स्पष्टीकरण देना होगा। इसके अलावा जिन जिलों की पन्द्रह से अधिक ग्राम पंचायतों में उक्तानुसार लक्ष्य हासिल नहीं होगा उन जिलों के सीईओ जिला पंचायत तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को चौदह दिसम्बर के पूर्व राज्य स्तर पर उपस्थित होकर लक्ष्य हासिल न होने के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। मनरेगा में प्रदेश के सूखा प्रभावित ग्रामीण अंचलों में जाबकार्डधारियों को साल में 100 के बजाए 150 दिन का काम देने की मंजूरी भारत सरकार से मिल चुकी है। इससे सूखा प्रभावित ग्रामीण अंचलों में जिन मजदूर परिवारों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं उन्हें 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार इन कामों के जरिये मिल रहा है।

दस का दम

दस वर्ष के परिश्रम से विकसित हुआ मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसम्बर को नई दिल्ली में 'दस का दम' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले दस वर्षों में लगन और मेहनत से जन हित में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं और राज्य एवं लोगों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। श्री चौहान ने अपने दस वर्ष के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि दस वर्ष पहले मध्यप्रदेश एक बीमारू एवं पिछड़ा राज्य माना जाता था। पहले बिजली, सड़क, पानी की समस्या से जूझ रहा मध्यप्रदेश आज विकास सूचकांक की कड़ी में देश में अग्रिम कतार में खड़ा है। श्री चौहान ने अपने मन की बात कहते हुए कहा कि इस विकास यात्रा में उनके मन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाने की एक कसक जरूर रह गयी, जिसका मुख्य कारण प्रदेश में चिकित्सक और चिकित्सा विशेषज्ञों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता नहीं होना है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश से बाहर कार्यरत और बसे चिकित्सकों से प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह इस कार्य को पूरा करेंगे।

इस विकास यात्रा के दौरान उन्होंने सभी वर्गों से संवाद स्थापित किया और इसके लिये पंचायतें बुलवायीं। नीति निर्धारण के लिए संबंधितों से सुझाव लेकर उनको अमल में लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई ठोस निर्णय लेकर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति राजसात करने का निर्णय भी लिया गया।

प्रदेश में दस वर्ष में अधोसंरचना विकास कृषि उत्पादन और औद्योगीकरण के क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है। अधोसंरचना के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश न केवल स्वावलंबी हुआ है बल्कि अब पड़ोसी राज्यों को बिजली दे रहा है। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा लगातार पिछले तीन वर्ष से राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। प्रदेश की कृषि उत्पादन दर अब 24.99 प्रतिशत हो गयी है। राज्य में पिछड़ों, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण की अनेक योजनाएँ चलाई गईं, जिससे इन वर्गों ने समाज में अपनी नई पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य छात्रों के साथ पिछड़े वर्ग के छात्रों ने भी नया आयाम स्थापित किया है। महिलाओं के लिए प्रदेश की पंचायतों में 50 प्रतिशत तथा सरकारी संस्थाओं-पुलिस एवं वन विभाग में भी 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश की बेटियों के चहुँमुखी विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई गई हैं। पहले बेटियों के जन्म को अभिशाप माना जाता था लेकिन अब पिछले दस साल के प्रयासों से लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आया है और लोग बेटियों को अब भार नहीं मानते हैं। राज्य सरकार ने बेटियों के पैदा होने से लेकर उनकी शिक्षा, शादी और नौकरी आदि के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना की सफलता को देखते हुए देश के अन्य राज्यों ने भी इस योजना का अनुसरण किया है। बेटियों के साथ-साथ सरकार ने बेटों का भी विशेष ध्यान रखा है। उनकी शिक्षा-दीक्षा से लेकर उनको स्वावलंबी बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने निभायी है।

सरपंचों की निगरानी में ग्राम पंचायत विकास योजना

मध्यप्रदेश में हर गांव का सुव्यस्थित विकास हो इस उद्देश्य से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है। पाँच वर्ष में विभिन्न योजनाओं में भवन तथा सड़क निर्माण और गाँव में जल निकास की व्यवस्था तथा नालियों का निर्माण, जैसे काम सुचारु रूप से करवाये जा सकेंगे। नल-जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये ग्राम पंचायतों को आवश्यक धन राशि मुहैया करवाई जायेगी और सरपंचों की निगरानी में यह काम होगा।

प्रदेश में हर गांव का सुव्यस्थित विकास हो इस उद्देश्य से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी। इससे आगामी पाँच वर्ष में विभिन्न योजनाओं में भवन तथा सड़क निर्माण और गाँव में जल निकास की व्यवस्था तथा नालियों का निर्माण, जैसे काम सुचारु रूप से करवाये जा सकेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में 14 दिसम्बर को भोपाल में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में विधायक श्री गिरीश गौतम, श्री निशंक कुमार जैन, श्री विष्णु खत्री और श्रीमती इमरती देवी सुमन ने गरीब ग्रामीणों को आवास मुहैया करवाने, संपर्क विहीन गांव को सड़कों से जोड़ने और नल-जल योजनाओं के सुचारु संचालन सहित विभिन्न योजनाओं के बेहतर अमल के बारे में उपयोगी सुझाव दिये।

श्री गोपाल भार्गव ने समिति सदस्यों को बताया कि नल-जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये ग्राम पंचायतों को आवश्यक धन राशि मुहैया करवाई जायेगी और सरपंचों की निगरानी में यह काम होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अरुणा शर्मा, सचिव पंचायत श्री रघुवीर श्रीवास्तव और सचिव सामाजिक न्याय श्री मनोहर अगनानी भी मौजूद थे।

परामर्शदात्री समिति के सदस्य विधायकगण ने शहरों की तरह गाँवों के भी सुनियोजित विकास की जरूरत बताई। अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्मार्ट गाँव-स्मार्ट पंचायत की परिकल्पना को साकार करने की पहल की गई है। गांवों के विकास की योजनाएं तैयार करने के लिये विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके बाद ये विशेषज्ञ गाँवों की जरूरतों के अनुसार विकास योजनायें तैयार करने में मदद करेंगे।

परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत हितग्राहियों को बैंकों से ऋण लेने में आ रही दिक्कतों के समाधान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं तथा निःशक्तजन को मिलने वाली विभिन्न सहायताओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में भी सुझाव दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण सड़क एवं आवास प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय, संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल, आयुक्त मनरेगा श्री रघुराज राजेन्द्रन और राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) श्रीमती हेमवती बर्मन उपस्थित थी।

सीहोर में गरीब परिवारों के एक हजार आवास बनेंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवम्बर को सीहोर में अन्त्योदय मेले में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले शहरी गरीबों की आवास योजना की शुरुआत सीहोर नगर से की। इस योजना में सीहोर नगर में रहने वाले 2300 गरीब परिवारों में से प्रथम चरण में 1000 परिवारों के लिए आवास बनाये जायेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की राशि दिए जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन समाज के सबसे गरीब वर्ग के व्यक्ति को सबसे पहले लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीहोर जिले में सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 113 करोड़ की राहत राशि दी गई है। यह राशि सूखा प्रभावित किसानों को तो मिलेगी ही साथ ही ऐसे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा जिनकी फसल तो नष्ट हुई है, पर इसका कोई प्रमाण अब नहीं बचा है। ऐसे किसानों को पंचों के प्रमाण-पत्र के आधार पर राहत राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में दूरदराज क्षेत्र से आए युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी पंचायतों में छोटे-छोटे उद्योग लगायें। इससे दूसरे पात्र युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही खेती पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार ऐसे युवा उद्यमियों को ऋण की सुविधा के साथ ही उन्हें कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण भी देगी। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को एक ही स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए की गई पहल की प्रशंसा की। अंत्योदय मेले में साधिकार अभियान में चयनित पात्र हितग्राहियों में से 20 हितग्राहियों को प्रतीकस्वरूप चेक वितरित किये। जिले में इस अभियान में 57 हजार 954 हितग्राहियों को 33 करोड़ 90 लाख रुपये के चेक बाँटे जायेंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में
मनरेगा कन्वर्जेंस से होंगे श्रममूलक कार्य

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना में जल ग्रहण क्षेत्र विकास की परियोजनाओं के लिये वित्तीय नियोजन के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में एक दिसम्बर को बैठक हुई। इसमें राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। मंत्री श्री भार्गव ने निर्देश दिये कि ग्रामीण अंचलों में सिंचाई के विस्तार के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मनरेगा कन्वर्जेंस से श्रममूलक कार्य करवाये जायें। बेहतर कन्वर्जेंस और पारदर्शिता के लिये गाइडलाइन तैयार कर जिला स्तर पर योजना की जानकारी भेजी जाये। ग्रामीण अंचलों में गेवियन और चेक डेम बनाने के काम से ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार दिया जाये। श्री भार्गव ने जल-संरक्षण की दिशा में सफल प्रयास करने को कहा। बैठक में आयुक्त मनरेगा श्री रघुराज राजेन्द्रन, संचालक राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन तथा संयुक्त आयुक्त राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन श्री विवेक दवे मौजूद थे।

वित्तीय समावेशन में सहकारिता की भूमिका

सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 20 नवम्बर को भोपाल में अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन अवसर पर कहा कि वित्तीय समावेशन समय की जरूरत है और सहकारिता इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के परम्परागत कामकाज में नवीनता लाने की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि इन बैंकों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त हों तथा बैंकों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बढ़े। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी सहित सहकारिता के विषय-विशेषज्ञों ने वित्तीय समावेशन की चुनौतियों पर संगोष्ठी में विचार व्यक्त किये। इस मौके पर "सहकारिता में नवाचार" विशेषांक का विमोचन हुआ।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि समाज के कमजोर तबकों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जन-धन योजना में सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक बैंक खाते खोले गये हैं। यह जरूरी है कि जन-हित में सहकारी बैंक संस्थाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाये।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने कहा कि बदलते परिवेश में बढ़ती जरूरतों के साथ-साथ बैंकों से लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहकारी बैंकों द्वारा व्यापक योगदान दिया जा रहा है। वित्तीय समावेशन में सहकारी समितियाँ अग्रणी भूमिका निभाएँ।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी ने कहा कि जन-धन योजना के जरिये बड़ी तादाद में आम लोगों को बैंकों से जोड़ा गया है। उनके लिये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के सतत आयोजन किया जाना जरूरी है।

आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि संगोष्ठी से वित्तीय समावेशन की विभिन्न चुनौतियों से सफलता से निपटने के बारे में दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी बैंकों द्वारा कुल 78.84 लाख किसान क्रेडिट-कार्ड जारी किये गये हैं। इनमें से 51.52 लाख क्रेडिट-कार्ड प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों ने जारी किये हैं, जो वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सहकारी बैंकों के महत्वपूर्ण योगदान को दिखाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री एच.के. सोनी, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री हेम्बरन, सहकारिता विशेषज्ञ श्री एल.डी. पंडित, पूर्व अपर आयुक्त सहकारिता श्री पी.डी. मिश्रा ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री सहकारी कृषक सहायता योजना

सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 15 सितम्बर को भोपाल में विधानसभा समिति कक्ष में विभागीय परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता करते हुए कहा कि व्यावहारिक होने पर नवगठित जिलों में भी पृथक से जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जा सकेगी, इस पर विचार किया जा रहा है। श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश के 38 जिला सहकारी बैंकों में से 33 बैंक लाभ की स्थिति में हैं और समग्र रूप से उन्होंने 266.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कोर बैंकिंग की सुविधा शुरू हुई है और बैंक के ग्राहकों तथा किसानों को एसएमएस एलर्ट की सुविधा के साथ एनईएफटी द्वारा धन राशि ट्रान्सफर की सुविधा मिलने लगी है। वर्तमान में सहकारी बैंकों के स्तर पर एटीएम स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री नानाभाउ मोहोड़, श्री निलेश अवस्थी और श्री सचिन सुभाष चन्द्र यादव मौजूद थे। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी और आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव ने विभागीय उपलब्धियों से अवगत करवाया। बैठक में परामर्शदात्री समिति की पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

मंत्री श्री भार्गव ने परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के विभिन्न सुझावों का क्रियान्वयन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि भण्डारण सुविधा की ऑनलाइन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जायेगा। श्री भार्गव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहकारी कृषक सहायता योजना शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में कृषक हितग्राहियों को खाद-बीज इत्यादि के लिये अधिकतम 10 हजार रुपये का ऋण अनुदान मिलेगा। उदाहरणस्वरूप 1 लाख रुपये के ऐसे वस्तु ऋण के लिये उन्हें मात्र 90 हजार ऋण वापसी करना होगा।

मध्यप्रदेश के 38 जिला सहकारी बैंकों में से 33 बैंक लाभ की स्थिति में है और समग्र रूप से उन्होंने 266.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कोर बैंकिंग की सुविधा शुरू हुई है और बैंक के ग्राहकों तथा किसानों को एसएमएस एलर्ट की सुविधा के साथ एनईएफटी द्वारा धन राशि ट्रान्सफर की सुविधा मिलने लगी है। वर्तमान में सहकारी बैंकों के स्तर पर एटीएम स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने बताया कि सहकारी समितियों को वर्ष 2014-15 तक की देनदारियों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब किसानों द्वारा ऋण वापसी करते ही राज्य अनुदान की राशि उनके खातों में भेज दी जायेगी। किसानों द्वारा जमा की गई फसल बीमा प्रीमियम राशि की रसीद और उन्हें दिये जाने वाले अनुदान की सूचना एसएमएस द्वारा तुरंत भेजने की व्यवस्था विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। अब तक करीब 22 लाख किसानों के मोबाइल नंबर का डाटा संकलित किया जा चुका है। बैठक में मध्यप्रदेश तिलहन संघ सहित विभिन्न सहकारी संस्थान जो परिसमापन की प्रक्रिया में हैं उनकी परिसम्पत्तियों के निपटान की प्रचलित कार्यवाहियों से भी अवगत करवाया गया।

आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसलों के लिये ऋण देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है और अब तक 11472 करोड़ का अल्पावधि फसल ऋण वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा 52 लाख 8 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। किसान क्रेडिट योजना में किसानों को 30213 करोड़ की साख सीमा मंजूर की गई। सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिये विभाग द्वारा वेबसाइट ई-कोऑपरेटिव्ह तैयार की गई है। इस वेबसाइट को प्रतिष्ठित सी.एस.आई. निहिलेंट पुरस्कार सहित तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वन मेला

आयुर्वेदिक धरोह

सौंपने

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिसम्बर को इंटरनेशनल हर्बल फेयर 2015 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयुर्वेदिक धरोहर को अगली पीढ़ी को सौंपने का सफल आयोजन है। मेले ने ऋषियों, मनीषियों की साधना से समृद्ध हजारों वर्षों की भारतीय आयुर्वेद ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कार्य किया है। मानव कल्याण के लिए गैरकाष्ठ वनोपज विषय पर पाँच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन लाल परेड ग्राउण्ड में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध की पहल आयुष और वन विभाग मिल कर करें। वन मानव के लिए लाभकारी औषधियों का खजाना हैं। शोध प्रयासों के अभाव से उनका मानव कल्याण के क्षेत्र में प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस दिशा में मध्यप्रदेश से पहल की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद पद्धति से रोगों के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेद चिकित्सकों को भी तैनात किया जा रहा है।

वन मानव के लिए वरदान है। वन और प्राणी एक-दूसरे के पूरक हैं। वनों से प्राण वायु, औषधियां और रोजगार मिलता है। प्रदेश में तेन्दूपत्ता संकलन कार्य से 32 लाख लोगों को मौसमी रोजगार मिलता है। चिरौंजी, महुआ की गुल्ली, करेंज का बीज आदि बड़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं। रोजगार सृजन के क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सराहनीय पहल की गई है। मध्यप्रदेश जैसे समृद्ध जैव विविधता वाले राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। राष्ट्रीय वन्य प्राणी उद्यानों के बफर जोन में अब वर्षा ऋतु में भी पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने वनों के उन्नयन में पंद्रह हजार वनोपज समितियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनका सम्मेलन करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग जैसी समस्याओं का कारण प्रकृति का अंधाधुंध शोषण है। दुनिया इस समस्या के समाधान के लिए आज चिंतन कर रही है जबकि भारतीय संस्कृति ने उसका हजारों साल पहले हल बता दिया था, कि प्रकृति का दोहन किया जाना चाहिए, शोषण नहीं। अर्थात् जितना प्रकृति से लिया जाए उसकी उतनी प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।

श्री चौहान ने मेले में 100 से अधिक स्टॉलों का अवलोकन किया। व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उत्कृष्ट निजी और शासकीय स्टॉलों के संचालन और सहयोग श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए तथा स्मारिका का विमोचन किया।

वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि आयुर्वेद की दवाएँ रोग का जड़ मूल से निदान करती हैं। इसका शरीर में शीघ्र प्रभाव हो, इस दिशा में अनुसंधान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, एलोपैथी एक-दूसरे की पूरक उपचार विधियाँ हैं। दीर्घकालिक और जटिल रोगों के उपचार में आयुर्वेद की महत्ता है। तात्कालिक उपचार में

हर
का संकल्प

एलोपैथी का प्रभाव बेहतर है।

इस अवसर पर वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी ने संघ की गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रमुख सचिव वन श्री दीपक खांडेकर ने आयोजन व्यवस्थाओं को शासकीय विभागों के लिए अनुकरणीय बताया। स्वागत उद्‌बोधन लघु वनोपज मंडल के प्रबंध संचालक श्री अनिमेष शुक्ला ने दिया। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान करीब तीन से पाँच करोड़ रुपए मूल्य के वन उत्पाद का व्यापार हुआ है।

किसानों को 2871 करोड़ की राहत वितरित

प्रदेश में मानसून वर्ष 2015 में हुई फसल हानि के लिये किसानों को 2871 करोड़ 19 लाख 78 हजार की राहत राशि वितरित कर दी गयी है। राज्य शासन द्वारा 3388 करोड़ 63 लाख 90 हजार की राहत राशि आवंटित की गयी है। इस प्रकार अभी तक 84 प्रतिशत राशि का वितरण कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि 10 जिलों में 100 प्रतिशत राशि वितरित की जा चुकी है। जिन जिलों में 100 प्रतिशत राशि वितरित की गयी, उनमें बड़वानी, दमोह, दतिया, पन्ना, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, अनूपपुर और अलीराजपुर शामिल हैं। इसके साथ ही बालाघाट जिले में 66 प्रतिशत, बैतूल जिले में 83, भिण्ड जिले में 99, भोपाल जिले में 97, छतरपुर जिले में 69, छिन्दवाड़ा जिले में 82, देवास जिले में 83, डिण्डोरी जिले में 99, हरदा जिले में 85, जबलपुर जिले में 72, झाबुआ जिले में 78, कटनी जिले में 78, खण्डवा जिले में 88, मण्डला जिले में 49, मुरैना जिले में 99, नीमच जिले में 99, रायसेन जिले में 99, राजगढ़ जिले में 39, रतलाम जिले में 64, रीवा जिले में 99, सागर जिले में 92, सतना जिले में 91, सीहोर जिले में 96, सिवनी जिले में 96, शाजापुर जिले में 64, सीधी जिले में 93, उमरिया जिले में 99 और विदिशा जिले में 67 प्रतिशत राशि वितरित की गयी है।

इसी प्रकार अशोकनगर जिले में 11 प्रतिशत, बुरहानपुर जिले में 99 प्रतिशत, सिंगरौली जिले में 82 प्रतिशत, आगर-मालवा जिले में 95 प्रतिशत, गुना जिले में 86 प्रतिशत, होशंगाबाद जिले में 93 प्रतिशत, खरगोन जिले में 7 प्रतिशत और नरसिंहपुर जिले में 89 प्रतिशत राहत राशि वितरित की गयी है।

जरूरत है आत्मनिर्भ

एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, दुनिया में उसका विश्व गुरु के रूप में सम्मान था। ये बातें केवल भारत के लोक-जीवन की कहानियां नहीं हैं बल्कि इनका संदर्भ प्राचीन विश्व की लोक कथाओं में भी मिलता है। इसका एक मात्र आधार भारतीय ग्राम व्यवस्था की उच्चता थी। उस जमाने में गांव, नगरों के नहीं, बल्कि नगर गांव के आधीन हुआ करते थे। गांव पूर्णतया आत्मनिर्भर थे शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सत्तात्मक दृष्टि से भी गांव की सरकार गांवों में ही रहती थी।

यदि हम भारत की प्राचीन ग्राम व्यवस्था का अध्ययन करें तो देखेंगे कि छोटे-मोटे विवादों के निर्णय भी गांव में ही हुआ करते थे। राज्यों की केन्द्रीय सत्ता के पास वही प्रकरण जाते थे जिनमें या तो संबंधित पक्ष संतुष्ट न हो अथवा एक से अधिक गांवों के लोग एक ही घटना में शामिल हों। कृषि, शिल्प और वनोपज के व्यापार का केन्द्र भी गांव ही थे किन्तु समय के साथ राजनैतिक परिवर्तनों, सामाजिक तनाव, विदेशी हमलों और आक्रामक लूट-डाके आदि के कारण सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। लेकिन अब गांवों में उसी आत्मनिर्भरता को प्रदान करने की मुहिम आरंभ की गई है जिसमें मध्यप्रदेश देश के अन्य प्रांतों से बहुत आगे है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना वही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें मध्यप्रदेश के गांवों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। मध्यप्रदेश में लगभग बावन हजार गांव और मजरे-टोले हैं, जो 22825 ग्राम पंचायतों के द्वारा संयोजित किए जाते हैं। स्मार्ट ग्राम योजना मुख्यतः चार आयामी है। इसमें अधोसंरचना का विकास, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका की सुनिश्चितता तथा सहभागिता का वातावरण तैयार करना है।

इन चार आयामों के अंतर्गत कुल 22 सूत्रीय कार्यक्रम संचालित होंगे। इनमें पहला है- सड़क संपर्क। प्रदेश के सभी ग्रामों का सड़क मार्ग से नगरों, मुख्य मार्गों के साथ खेतों से भी संपर्क स्थापित हो, प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल उपलब्ध हो, आंतरिक रोड एवं नालियों का निर्माण हो, पंचायतों में आनलाइन व्यवस्था हो, प्रत्येक गांव का अपना खेल मैदान हो, प्रत्येक गांव में शाला भवन, गांव में कोई भी व्यक्ति आवासहीन न हो, प्रत्येक गांव में फसलों को सुरक्षित रखने तथा भंडारण की व्यवस्था हो, गांव के निशक्तजनों को पेंशन तथा उनके कल्याण की योजनाएं संचालित हों, शौचालय तथा अपशिष्ट का प्रबंधन हो। इन आधारभूत कामों के अलावा माइक्रो फायनेंस, उद्यानिकी विस्तार, कृषि की उन्नत तकनीकी, कौशल विकास, रोजगार, सामाजिक अंकेक्षण, सुदृढ़ ग्राम सभा, पारदर्शिता, पंचायत पोर्टल, आय की दृष्टि से पंचायत में आत्मनिर्भरता तथा पंचायत नागरिक सुविधा का केन्द्र बने।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज

र ग्राम व्यवस्था की

सिंह चौहान ने योजना के लिए जहां तीन गुना अनुदान राशि देने की घोषणा की, वहीं पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने घोषणा की है कि अब परफारमेंस ग्रान्ट सीधे पंचायतों के खाते में जायेगी। स्मार्ट ग्राम योजना के पहले भी मध्यप्रदेश में गांवों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

प्रदेश में अपनी स्थापना के समय से ही पंचायत राज व्यवस्था के केन्द्र में विकास की अवधारणा रही है। विकास की एजेंसी और विकास की इकाई दोनों ही रूपों में पंचायत राज व्यवस्था में प्रयास किये गये हैं। 73वें संविधान संशोधन के उपरांत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ने पंचायत राज व्यवस्था की इसी भूमिका को स्वीकार कर और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। 73वें संविधान संशोधन के उपरांत 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय पंचायत राज व्यवस्था के समग्र स्वरूप को स्पष्ट करते हैं।

प्रदेश में सदैव यह प्रयास रहे हैं कि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये तत्पर रहें। किंतु व्यवहारतः ग्राम पंचायतों ने अपने आपको केवल अधोसंरचनात्मक विकास अर्थात् निर्माण कार्यों तक सीमित कर लिया है। जबकि अधोसंरचना विकास का केवल एक घटक मात्र है। परंपरागत रूप से पंचायतों द्वारा वार्षिक योजनायें तैयार की गई हैं। किंतु यह योजनाएं कहीं न कहीं अधोसंरचनात्मक घटक के आस-पास केन्द्रित रही हैं साथ ही तैयार की गयी योजनाएं पूर्व निर्धारित प्रपत्रों तथा बिन्दुओं पर तैयार की जाती रही हैं, इनमें सहभागिता का अभाव रहा है।

14वें वित्त आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि 'ग्राम पंचायतें मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति के लिये सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं'। पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि ग्राम पंचायतें अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं अपनी विकास योजना तैयार कर उनका क्रियान्वयन करे। लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत वास्तविक अर्थों में स्वयं को स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित कर सके।

ग्राम पंचायत विकास योजना : अवधारणा

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए दो घटक महत्वपूर्ण हैं एक संसाधनों की उपलब्धता और दूसरा क्षेत्र की प्राथमिकताएं। एक व्यवस्थित तरीके से संसाधनों और प्राथमिकताओं के मध्य व्यवहारिक सामंजस्य कर तैयार किये गये अभिलेख को उस क्षेत्र विशेष के लिये विकास योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में संसाधनों और प्राथमिकताओं के व्यवहारिक सामंजस्य के लिये ग्राम पंचायत ही मूल इकाई है इसलिये इस प्रक्रिया को ग्राम पंचायत विकास योजना के नाम से संबोधित किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना : आवश्यकता

ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के लिये निरंतर कोई न कोई प्रक्रिया प्रचलित रही है। किसी भी योजना विशेष के लिये वार्षिक कार्य योजना तैयार करना भी इसी प्रक्रिया का एक भाग रहा है। प्रदेश में प्रचलित विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया सहित मनरेगा अंतर्गत अपनायी जा रही प्रक्रिया भी इसी प्रकार का प्रयास है। इन सभी प्रयासों के मध्य समन्वय कर एक ऐसी विकास योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जो 'ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत के लिये, ग्राम पंचायत द्वारा' तैयार विकास योजना के रूप में मूर्त रूप ले सके।

निम्न तथ्य भी ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं-

- इसके द्वारा संसाधनों के उपयोग की एक तार्किक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।
- संसाधनों को लोगों की आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है साथ ही वर्तमान योजनाओं में लोगों की आवश्यकताओं का समाधान भी खोजा जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में निवासरत पृथक-पृथक समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को आसानी से चिन्हित किया जाकर उनका भी समाधान हो सकेगा।
- आम जन के ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा सकता है।

रिसोर्स

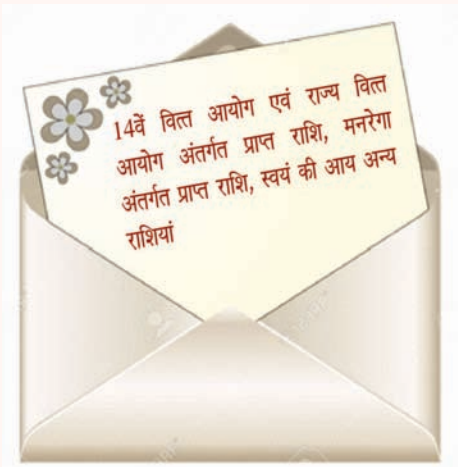

ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों तथा अन्य संसाधनों को एकजायी कर रिसोर्स एनवलप नाम दिया गया है। रिसोर्स एनवलप में निम्न राशियां सम्मिलित होंगी-

- ग्राम पंचायतों को करों, शुल्क, ब्याज, किराया आदि से प्राप्त होने वाली स्वयं की आय।
- 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि।
- लेबर बजट अनुसार मनरेगा में ग्राम पंचायत के लिये नियत राशि।
- राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त राशियां।
- राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा अपनी नीति के तहत ग्राम पंचायतों को जारी की जाने वाली राशियां।
- जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त राशियां।
- अन्य ऐसी योजनाएं जिनमें ग्राम पंचायतों को सीधे राशि प्राप्त नहीं होती है पर वह अपनी पंचायत क्षेत्र के लिये हितग्राही या गतिविधि चयन कर उन योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत क्षेत्र में ले सकती है उनका आंकलन करके रिसोर्स एनवलप में सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, इंदिरा आवास योजना, एन.आर.एल.एम. आदि।

रिसोर्स एनवलप को पंचायत दर्पण पोर्टल पर निरंतर अद्यतन किया जाएगा साथ ही यह पब्लिक डोमेन में सभी के देखने के लिये उपलब्ध रहेगा।

14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि - ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान कर सकें इस हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा राशि उपलब्ध

- किस आवश्यकता या कार्य को किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है इसका सफल समाधान प्राप्त हो सकता है अर्थात् योजनाओं और संसाधनों के मध्य आवश्यकता आधारित कन्वर्जेंस किया जा सकता है।
- संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित कर पंचायत की अर्थव्यवस्था एवं क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
- लोगों में शासन और विकास की समझ विकसित होगी अर्थात् ग्राम पंचायत में वास्तविक रूप से विकास की अवधारणा, चर्चा एवं निर्णयों का आधार बन सकेगी।
- पंचायत में अपने स्थानीय विकास मॉडल विकसित होंगे साथ ही स्थानीय नवाचारों को पहचान मिलेगी।
- प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जा सकेगा। निर्णयों में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। निर्णयों का पालन प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
- ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारियाँ तय हो सकेंगी। ग्राम पंचायतें परफारमेंस के लिए तत्पर रहेंगी।
- विकास योजना ग्राम पंचायत की समस्त आवश्यकताओं पर केन्द्रित होगी जिससे ग्राम पंचायत को निरंतर दायित्वबोध रहेगा।

ग्राम पंचायतें 'स्थानीय सरकार' के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकेंगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण : ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजना तैयार करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा

र्म एनवलप

करायी जा रही है।

राशि वितरण का आधार - 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की कण्डिका 9.64 अनुसार, मूलभूत नागरिक सुविधाओं की अदायगी का संबंध स्थानीय निकाय के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में वर्तमान जनसंख्या से जुड़ा है जबकि क्षेत्रफल का संबंध ऐसी सेवाओं की आपूर्ति की लागत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि का वितरण वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर 90 प्रतिशत जनसंख्या की भारिता अनुसार तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की भारिता अनुसार किया जावेगा।

राशि का स्वरूप - 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की कण्डिका 9.72 में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुशंसित की गयी समस्त राशियां केवल ग्राम पंचायतों को मिलनी चाहिए जो कि मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति के लिये सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं और इसमें किसी अन्य स्तर के लिये कोई भागीदारी नहीं है। इस प्रकार समस्त राशियां ग्राम पंचायतों को ही प्राप्त होंगी। 14वें वित्त आयोग द्वारा राशि को निम्नानुसार दो हिस्सों में प्रदान किया गया है। कुल राशि का 90 प्रतिशत मूल अनुदान होगा तथा 10 प्रतिशत कार्य निष्पादन (परफारमेंस) अनुदान होगा।

मूल अनुदान - समस्त ग्राम पंचायतों को वर्ष 2011 की जनसंख्या के मान से 90 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल के मान से 10 प्रतिशत 14वें वित्त आयोग द्वारा दिये गये सूत्र अनुसार मूल अनुदान प्राप्त होगा।

कार्य निष्पादन अनुदान (परफारमेंस ग्रांट) - समस्त ग्राम पंचायतों के लिये यह समान अवसर होगा कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परफारमेंस कर यह राशि प्राप्त कर सकें। 14वें वित्त आयोग द्वारा निष्पादन (परफारमेंस ग्रांट) प्राप्त करने के लिये दो शर्तें निर्धारित की गयी हैं - 1. ग्राम पंचायतों द्वारा उन्हें प्राप्त होने वाली समस्त राशियों की अंकेक्षित वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। 2. ग्राम पंचायत को अपनी स्वयं की आय में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि करनी होगी। आय वृद्धि की यह पुष्टि ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से होनी अनिवार्य होगी। परफारमेंस ग्रांट हेतु दो वर्ष पूर्व की ऑडिट रिपोर्ट को मान्य किया जावेगा जैसे वर्ष 2016-17 में परफारमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिये वर्ष 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट मान्य होगी, वर्ष 2017-18 के लिये वर्ष 2015-16 की ऑडिट रिपोर्ट मान्य होगी, वर्ष 2018-19 के लिये वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट अनिवार्य होगी वहीं वर्ष 2019-20 के लिये वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट को आधार माना जावेगा।

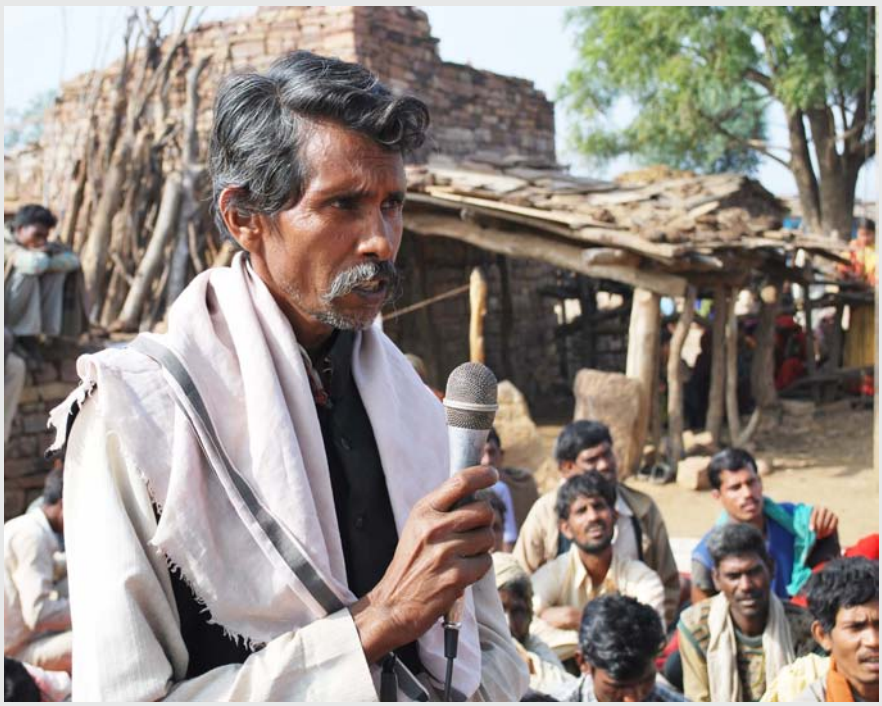

निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे साथ ही समस्त संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों तथा लोक सेवकों के लिये विस्तृत प्रशिक्षण भी आयोजित किया जावेगा। निर्देश पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेंगे।

ग्राम पंचायत विकास योजना को निम्न चरणों में तैयार किया जाकर अंतिम रूप दिया जावेगा-

वातावरण निर्माण : ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायत विकास योजना 'स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत' की अवधारणा तथा आवश्यकता पर चर्चा की जाकर जनमानस तैयार किया जावेगा। सभी को 'रिसोर्स एनवलप' तथा प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी प्रदान की जावेगी। स्वसहायता समूहों का सहयोग लिया जा सकेगा। उद्देश्य यह होगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी नागरिक, पंचायत प्रतिनिधि तथा ग्राम पंचायत स्तरीय लोक सेवक भली भांति अवगत हो जाएं कि ग्राम पंचायत के द्वारा समग्र विकास योजना 'स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत' तैयार की जा रही है और उसमें हम सभी की भागीदारी होनी है।

स्थिति का विश्लेषण - विकास योजना बनाने के लिये आवश्यक है कि उसके सभी घटकों की वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जाये। इसी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण उपलब्ध संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में किया जाकर कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकेंगी। ग्राम पंचायतें सभी घटकों के सभी पहलुओं की वर्तमान स्थिति का आंकलन निम्न प्रक्रिया अनुसार कर सकेंगी-

बेसलाइन सर्वे- इस प्रक्रिया में विकास योजना के लिये चिन्हित समस्त घटकों एवं पहलुओं की वर्तमान स्थिति का सर्वे किया जाकर जानकारी संकलित की जावेगी। इस जानकारी का उपयोग आवश्यकताओं को चिन्हित कर उनकी पूर्ति हेतु आवश्यक उपाय करने में किया जा सकेगा। बेसलाइन सर्वे के लिये निर्धारित प्रपत्र पृथक से जारी किया जावेगा, बेसलाइन सर्वे की समस्त जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी दर्ज की जानी होगी।

स्थिति का विश्लेषण - यद्यपि बेसलाइन सर्वे का उद्देश्य भी एक नियत समय पर विविध पहलुओं की स्थिति ज्ञात करना है किंतु बेसलाइन सर्वे में तथ्यों को संकलित किया जाकर पृथक से विश्लेषण किया जाता है जिस कारण तथ्यों के संदर्भ कई बार पीछे छूट जाते हैं यही कारण है कि स्थिति का विश्लेषण करने के लिये अन्य तरीके भी अपनाये जाते हैं। इन्हीं में से कुछ तरीके निम्न हैं जिनको ग्राम पंचायतों के द्वारा अपनाया जा सकता है-

संबद्ध व्यक्तियों एवं परिवारों में चर्चा- यह सर्वविदित है कि गांव के लोग अपने गांव को बाहरी व्यक्तियों की अपेक्षा बेहतर जानते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि उनके गांव की स्थिति क्या है? समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है? और उनकी स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत क्षेत्र में अलग-अलग समूहों के साथ चर्चा कर उनके संबंध में जानकारी एकत्रित की जाकर वास्तविक स्थिति, समस्याओं तथा समाधान को अभिलिखित किया जावेगा।

ट्रांजिट वाक- इस प्रक्रिया में ग्राम में भ्रमण कर वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है।

ग्राम सभा- एक सक्रिय ग्राम सभा स्थिति विश्लेषण का सबसे प्रभावी तरीका हो सकती है। ग्राम पंचायत इस प्रकार का वातावरण निर्माण करे जिससे कि ग्रामवासी स्वेच्छा से ग्राम सभा में सम्मिलित हों और अपने अनुभवों तथा ज्ञान के आधार पर स्थिति विश्लेषण में भागीदार बन सकें।

सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) - यह स्थिति का विश्लेषण करने का अधिक वैज्ञानिक तरीका है। प्रशिक्षित दल के द्वारा ग्रामवासियों के साथ चर्चा कर वास्तविक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया के प्रमुख टूल्स निम्न हैं-

सोशल मैपिंग- यह स्थानीय व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा मैप है जिसमें विभिन्न श्रेणियों, महत्वपूर्ण संस्थानों, भौतिक और सामाजिक संरचनाओं तथा अन्य सुख-सुविधाओं के अनुसार परिवारों को दर्शाया जाता है। यह नक्शा समूह के द्वारा सामान्यतः जमीन पर तैयार किया जाता है।

संसाधन मैपिंग- इस प्रक्रिया से गांव में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता मिलती है, इसे भी स्थानीय लोग ही तैयार करते हैं और

इस मैप में प्रमुखतः भूमि उपयोग, जल निकास, सिंचाई के साधन, भूमि का स्वरूप आदि को दर्शाया जाता है।

इसके अतिरिक्त अन्य टूल्स जैसे प्रॉब्लम मेट्रिक्स, नीड मेट्रिक्स, आजीविका विश्लेषण आदि भी हैं जिनके संबंध में पृथक से अवगत कराया जावेगा।

ग्राम पंचायत से संबंधित पूर्व से उपलब्ध डाटा भी स्थिति विश्लेषण में सहायक हो सकता है जैसे जनगणना के आंकड़े या विभिन्न विभागों द्वारा विषय विशेष पर किये गये सर्वे के आंकड़े आदि।

आवश्यकताओं का निर्धारण - उपरोक्तानुसार वातावरण निर्माण तथा विभिन्न तरीकों से विभिन्न पहलुओं के संबंध में वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर ग्राम पंचायत के द्वारा आवश्यकताओं का निर्धारण किया जावेगा। आवश्यकताओं का निर्धारण ग्रामवार, विकास के विभिन्न घटकवार, तथा व्यक्ति समूहवार किया जा सकता है।

कार्यों के चिन्हांकन की प्रक्रिया एवं प्राथमिकता निर्धारण - ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना में सहभागितापूर्वक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवश्यकताओं का आंकलन कर किये जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता अनुसार सूचीबद्ध किया जावेगा। यह आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायतें कार्यों की आवश्यकता एवं प्राथमिकता का निर्धारण करते समय अपने पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्रामों तथा बसाहटों को समान दृष्टि से देखें अर्थात् कोई भी ग्राम या बसाहट उपेक्षित न रहे। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गयी यह प्राथमिकता सूची पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जानी होगी तथा इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप तैयार करना - ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। ग्राम पंचायत परिस्थिति विश्लेषण के विभिन्न तरीकों से प्राप्त वस्तुस्थिति के आधार पर ग्राम पंचायत रिसोर्स एनवलप के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता निर्धारित कर अपने लिये एक विकास योजना तैयार करेगी।

विकास योजना में पूर्व में उल्लेखित घटकों को समाहित करते हुए दो भाग होंगे- (1)

भूमिका और जिम्मेदारी

ग्राम पंचायत द्वारा एक व्यवहारिक तथा कार्यरूप में परिणित करने योग्य विकास योजना तैयार करने में अपेक्षित सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत वार्ड स्तर तक सभी की जिम्मेदारियां तथा भूमिकाएं निम्नानुसार निर्धारित हैं-

राज्य स्तर पर

साधिकार समिति - अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। यह समिति अंतर्विभागीय समन्वय तथा दिशा निर्देशों के लिये प्रयास करेगी।

राज्य स्तरीय रिसोर्स ग्रुप - विकास योजना प्रक्रिया को आवश्यक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य स्तरीय रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जाएगा। ग्रुप में पंचायत, मनरेगा, एन.आर.एल.एम., आवास, ग्रामीण रोजगार, स्वच्छ भारत मिशन, सामाजिक अंकेक्षण, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, योजना आयोग के प्रतिनिधि होंगे। आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

जिला स्तर

- ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा को अपने जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाना।
- ग्राम पंचायत के रिसोर्स एनवलप को अद्यतन रखना।
- जिला स्तर से विकास योजना तैयार करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विकास योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित विभागों के मध्य समन्वय।
- जिला पंचायत की बैठकों में ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा का प्रचार-प्रसार तथा समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- जिला एवं ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय करना।
- जिला एवं राज्य के मध्य समन्वय करना।
- दक्षता संवर्धन (प्रशिक्षण) हेतु आवश्यक प्रयास करना।

इसके अतिरिक्त जिला पंचायत की स्थायी समितियां भी ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी तथा स्थायी समितियों के सचिव अपने क्षेत्रीय लोक सेवकों को विकास योजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता देने हेतु निर्देशित करेंगे। यह प्रयास किये जावें कि जिला चार्ज अधिकारी तथा जिला पंचायत की साधारण सभा एवं स्थायी समितियां जिला स्तरीय रिसोर्स ग्रुप के रूप में भूमिका का निर्वहन कर सकें।

जनपद स्तर

- ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा को अपनी जनपद पंचायत की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाना।
- ग्राम पंचायत के रिसोर्स एनवलप को अद्यतन रखना।
- जनपद पंचायत स्तर से विकास योजना तैयार करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विकास योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित विभागों के मध्य समन्वय।
- जनपद पंचायत की बैठकों में ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा का प्रचार-प्रसार तथा समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायत के मध्य समन्वय करना।
- दक्षता संवर्धन (प्रशिक्षण) हेतु अपेक्षित प्रयास करना।

इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत की स्थायी समितियां भी ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी तथा स्थायी समितियों के सचिव अपने क्षेत्रीय लोक सेवकों को विकास योजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता देने हेतु निर्देशित करेंगे। यह प्रयास किये जावें कि जनपद पंचायत स्तरीय चार्ज अधिकारी तथा जनपद पंचायत की साधारण सभा एवं स्थानीय समितियां जनपद स्तरीय रिसोर्स ग्रुप के रूप में भूमिका का निर्वहन कर सकें।

क्लस्टर स्तर - प्रदेश में ग्राम पंचायतों का आकार छोटा होने के कारण ग्राम विकास योजना की तैयारी, तकनीकी सहायता तथा दक्षता संवर्धन (प्रशिक्षण) की दृष्टि से क्लस्टर को मुख्य इकाई के रूप में स्थापित किया जाये। क्लस्टर प्रभारी (पंचायत समन्वय अधिकारी या सहायक विकास विस्तार अधिकारी) अपने क्लस्टर की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के लिये स्तरीय चार्ज अधिकारी रहेंगे। इस रूप में वह अन्य विभागों के क्लस्टर स्तरीय तकनीकी लोक सेवकों के साथ समन्वय कर ग्राम पंचायतों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध करायेंगे।

ग्राम पंचायत स्तर - विकास योजना की संपूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत पर केन्द्रित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित किया है। अतः ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में अपनी इस भूमिका का निर्वहन करे ना कि केवल सरपंच के रूप में। ग्राम पंचायत की अपेक्षित भूमिका एवं जिम्मेदारियां निम्नानुसार होंगी-

ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा एवं आवश्यकता के संबंध में वातावरण निर्माण किया जाएगा।

रिसोर्स एनवलप को प्रदर्शित करने के लिये दीवाल लेखन आदि तरीके अपनाये जाएंगे।

वार्ड स्तर

वार्ड विकास योजना प्रक्रिया की सबसे सूक्ष्म इकाई होगी। वार्ड स्तर पर वार्ड के पंच की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। पंच के द्वारा वार्ड के सभी व्यक्तियों तथा समूहों के साथ व्यक्तिगत चर्चा के द्वारा स्थिति विश्लेषण, आवश्यकताओं का आंकलन तथा प्राथमिकता निर्धारण में अपना मत व्यक्त किया जावेगा।

नियोजित विकास की ओर अग्रसर प्रदेश के ग्राम

प्रदेश के ग्रामों में नियोजित विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण अंचलों में उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को चिन्हित कर 'स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत' की अवधारणा लागू कर समग्र ग्रामीण विकास की गाथा लिखी जाएगी। ग्राम पंचायतें अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा जिसका केन्द्र ग्राम पंचायत का समग्र विकास होगा जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित होगा बल्कि विकास के अन्य घटक सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी इनके भाग होंगे।

14वें वित्त आयोग द्वारा यह स्पष्ट अनुशंसा की गई है कि प्रत्येक पंचायतें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। सभी पंचायतों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी विकास योजना स्वयं तैयार कर उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करें। लक्ष्य साफ है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत वास्तविक अर्थों में समग्र ग्रामीण विकास के लिए स्वयं को एक स्थापित सरकार के रूप में स्थापित कर सके।

'स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत' की पंचवर्षीय कार्ययोजना वास्तव में ग्राम पंचायत का दृष्टि पत्र है, जिसके माध्यम से वर्तमान वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के पांच वर्षों में ग्राम विकास के प्राथमिक लक्ष्य तय करके ग्राम में उपलब्ध मौजूदा संरचनाएं व ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्षवार नियोजित विकास किया जायेगा। इसमें जो विषय सम्मिलित हैं- वे हैं खुले में शौच मुक्त, 24 घण्टे पेयजल सुविधा, शत-प्रतिशत आन्तरिक मार्ग व नालियां, कचरे का उचित प्रबंधन, खेतों तक बारहमासी सड़क, शत-प्रतिशत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाचनालय की सुविधा, विवाद विहीन नशा मुक्त, ग्राम खेल मैदान, प्रकाश की व्यवस्था, जलसंरक्षण, ग्राम पंचायतों का सौंदर्यीकरण, सिंचाई की सुविधा, सामाजिक समरसता में वृद्धि, बुजुर्गों की समुचित देखभाल, पेंशन आदि हितलाभों का समुचित वितरण, केन्द्र की विभिन्न योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन, सशक्त ग्राम सभा तथा महिलाओं की समुचित भागीदारी। इन विषयों द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम का निर्माण करना है।

प्रत्येक ग्राम में शहरों जैसी बेहतर बुनियादी सुविधाएं हों। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम के भारत के ग्रामों को लेकर देखे गए इस सपने को साकार करने के उद्देश्य से 'स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत' की अवधारणा को लागू कर ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की रणनीति लागू की जा रही है। स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होकर प्रदेश के सभी गांव समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ें इसलिए गांवों में अब अधोसंरचना विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक और वैयक्तिक विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं।

गांव के विकास में समाज की सामुदायिक भागीदारी को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा। उनकी इस भागीदारी से गांव का परिवेश बदल रहा है। ग्रामीण स्वयं एवं ग्राम सभा के माध्यम से अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को चिन्हित कर रहे हैं। प्रदेश के ग्राम समृद्ध, स्वच्छ और सशक्त बन सकें इस हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। गांव में पक्की सड़कें, पीने के पानी का इंतजाम और बैंक सुविधाओं से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। बड़ी तादाद में ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ियों और स्कूलों के भवन बन रहे हैं। ग्राम पंचायतों को सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को व्यापक अधिकार और दायित्व सौंपे गये हैं जिसे त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि सफलता से निभा रहे हैं।

डॉ. अरुणा शर्मा
अतिरिक्त मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

स्मार्ट है सीहोर जिले की बोरदीकला ग्राम पंचायत

सीहोर जिले की इछावर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली बोरदीकला ग्राम पंचायत सही अर्थों में स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा है। स्मार्ट पंचायतों की परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले विषयों को कुछ हद तक बोरदीकला ग्राम पंचायत ने साकार करने का प्रयास किया है। सशक्त ई-पंचायत व सुदृढ़ भवन, महिला सशक्तीकरण, ग्राम की समस्त समस्याओं के निदान का केन्द्र बिन्दु पंचायत भवन, जल संरक्षण, आदर्श ग्राम सभा, सामाजिक सहभागिता से निर्माण कार्य आदि कार्यों द्वारा स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को रेखांकित किया जा रहा है।

वर्ष 2010 में निर्मल ग्राम के लिए पुरस्कृत हो चुकी बोरदीकला ग्राम पंचायत में कुल 3200 जनसंख्या के 503 परिवार निवासरत हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले ग्राम में 370 एक्टिव जॉबकार्डधारी परिवार हैं। स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत के लिए रेखांकित किये गये कुल कार्यों में से पूर्व में ही लगभग 60 प्रतिशत कार्यों का पूर्ण होना बोरदीकला के विकास की कहानी बयां करता है।

विकास की कहानी कहता ई-पंचायत भवन - बोरदीकला को सम्पूर्ण पंचायत कहें

तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुदृढ़ भवन, सरपंच-सचिव के बैठने के व्यवस्थित कमरे व फर्नीचर, मीटिंग रूम, विश्राम गृह, वाचनालय, आसपास सौंदर्यीकरण के साथ-साथ सशक्त ई-पंचायत की अवधारणा जिसमें एलसीडी, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर एवं नेट कनेक्टिविटी की सुविधा जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर सीधे वीडियो संवाद की सुविधा। पंचायत भवन में एलसीडी के द्वारा ग्रामीणों को देश-विदेश की जानकारी के साथ-साथ शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अतिरिक्त कृषि, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं स्वच्छता संबंधी फिल्में दिखाकर लाभ मुहैया कराने की सुविधा सशक्त ई-पंचायत की ओर इंगित करती है।

ग्राम पंचायत बोरदीकला अंतर्गत आने वाले ग्रामों का स्मार्ट विलेज प्लान हेतु की गई गतिविधियाँ-

ट्रांजिट वॉक - स्मार्ट विलेज प्लान बनाते समय ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा ग्राम पंचायत में भ्रमण किया गया एवं ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया, साथ ही ग्राम पंचायत के लोगों से उनकी आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की गई।

सामाजिक एवं भौगोलिक मानचित्रण - स्मार्ट विलेज प्लान के प्रथम चरण ट्रांजिट वॉक के पूर्ण होने उपरांत ग्राम पंचायत के निवासियों से ग्राम पंचायत का सामाजिक मानचित्रण एवं भौगोलिक मानचित्रण बनवाया गया, जिसमें उनके द्वारा ग्राम पंचायत में निवास करने वाले परिवारों की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया साथ ही ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति को भी चित्रित किया गया।

इसके साथ ग्रामवासियों ने मानचित्रों पर ग्राम की आवश्यकताओं को भी

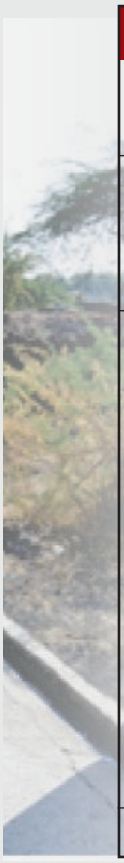

कार्यालय जनपद पंचायत इछावर, जिला सीहोर, म.प्र.

ग्राम पंचायत - बोरदीकला

स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत बनाने के संबंध में प्रपत्र

क्र.	मद/कार्य का विवरण	कुल आवश्यक कार्य	पूर्व से निर्मित कुल कार्य	निर्माण होने के लिए शेष कार्य	राशि की आवश्यकता (अनुमानित) लाख में
1	आंतरिक सड़क-सीसी रोड	30	10	20	48.00
2	नाली निर्माण	4	0	4	8.00
3	गरीबों के लिए आवास	165	65	97	97.00
4	शौचालय	534	375	159	19.00
5	पेयजल सुविधा-नलजल योजना	1	1	1	36.00
6	सार्वजनिक चबूतरा निर्माण	2	1	1	1.00
7	स्वागत द्वार	2	0	2	1.00
8	चौराहे का सौंदर्यीकरण	0	0	0	0.00
9	घाट निर्माण (आवश्यकता अनुसार)	1	0	1	6.00
10	मनोरंजन भवन/मंगल भवन	1	0	1	12.00
11	अन्य कार्य	0	0	0	0.00
	कुल योग	**740**	**452**	**286**	**228.00**

प्रदेश के सभी गांव समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट ग्राम स्मार्ट पंचायत के लक्ष्य को संकल्पित 'ग्राम पंचायत विकास योजना' की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले अनुदान तथा करारोपण के द्वारा प्राप्त राशि को व्यय करने के लिए प्रक्रिया नियत की गई है। इस प्रक्रिया से प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा संसाधनों और आवश्यकताओं के मध्य तार्किक समन्वय कर अपनी विकास योजना तैयार की जाएगी।

ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले संसाधनों को पूर्व से ही चिन्हित कर एक स्थान पर अंकित किया जाएगा जिसे 'रिसोर्स एनवलप' कहा जाएगा। इस प्रकार चिन्हित आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी वार्षिक एवं पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी। इन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्राथमिकता क्रम तथा अन्तिम अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब प्रत्येक ग्राम पंचायत परफारमेंस मद की राशि प्राप्त कर सकेगी। इसके लिए पंचायतों को मुख्यतः अपने अभिलेखों का नियमित आडिट कराने के साथ-साथ अपनी आय में निरन्तर वृद्धि करनी होगी। अन्य आधारों के रूप में स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में ग्राम पंचायतों द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

रघुवीर श्रीवास्तव
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र. शासन

तय समय में लक्ष्य प्राप्ति से बदलाव

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के चहुंमुखी विकास के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को सीहोर जिले के प्रत्येक ग्राम में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना के सभी घटकों फिर चाहे वो अधोसंरचना विकास हो, सामाजिक सुरक्षा हो, सहभागिता एवं उत्तरदायित्व हो या फिर सुनिश्चित आजीविका से आय में वृद्धि करना हो। सभी घटकों को कारगर ढंग से लक्ष्य तय कर क्रियान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना द्वारा ग्रामीण अंचलों की तस्वीर व तकदीर बदलने के लिए प्रयासरत सीहोर जिले के कलेक्टर श्री सुदाम खाड़े एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रामराव भोसले से मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए इस विषय पर विशेष बातचीत हुई। प्रस्तुत हैं बातचीत के कुछ अंश -

श्री सुदाम खाड़े
कलेक्टर सिहोर

- **स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत योजना को आप किस रूप में देखते हैं?**
  पांच वर्ष के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसे अवसर आते हैं कि वे गांव में क्षमता के अनुरूप क्या नया देखना चाहते हैं। उसी को देखते हुए समय अनुरूप विकास कार्य करने के लिए इस योजना के अनुसार एक दृष्टिपत्र बनाया गया जिसे कारगर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- **योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गये?**
  सर्वप्रथम शासन की ओर से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि तथा पंचायतों के करारोपण से प्राप्त आय को खर्च कर कैसे गाँव को विकसित करना है उसकी कार्ययोजना बनाई गई। अधोसंरचना विकास के साथ-साथ योजना के सभी जरूरी घटकों को चिन्हित कर क्रियान्वयन के प्रयास किये जा रहे हैं।
- **इस योजना की परिकल्पना के अनुसार अधोसंरचना विकास के लिए क्या जरूरी प्रयास किये गये?**
  अक्सर देखा जाता है कि गांव में सुविधा के लिए बनाए जा रहे प्रोजेक्ट जमीनों की कमी या कई अड़चनों के कारण पूरे नहीं हो पाते हैं। अतः सर्वप्रथम गांवों का सम्पूर्ण राजस्व नक्शा तैयार किया गया। प्रत्येक पटवारी को निर्देश दिया गया कि वे पंचायतों के अंतर्गत आने वाली सारी जमीन का अभिलेख पंचायतों को उपलब्ध कराएं। यह प्रदेश का पहला नवाचार साबित हुआ जिसे अन्य जिलों ने भी लागू किया।
- **सामाजिक सहभागिता किस प्रकार उत्तरदायी है? उनके योगदान को लेकर क्या परेशानी आई?**
  किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जनसहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। विकास योजना को लेकर कुछ सरपंच उत्साहित नहीं होते हैं। गांव के लोग कुछ करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसी को देखते हुए पांच वर्ष का विजन तैयार किया गया है। उनकी उदासीनता दूर करने के लिए भविष्य के कार्यों के लिए लक्ष्य तय किया गया।
- **ग्रामीणों की आर्थिक मजबूती के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?**
  ग्रामीणों की आय के मुख्यतः दो स्त्रोत होते हैं पहला कृषि तथा दूसरा आउटसोर्सिंग। कृषि के लिए शासन की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा आउटसोर्सिंग के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें जिले अथवा जिले से बाहर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। गांव का मास्टर प्लान बनाकर सामाजिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है। अंत्योदय मेले लगाकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित किया जा रहा है।
- **योजना का आकलन करें तो पूर्व और अब में क्या बदलाव देख रहे हैं?**
  जैसा कि विदित है कि पूर्व में शासन द्वारा बनाई गई योजनाएँ गांवों में लागू की जाती थीं किन्तु अब इसे बदलकर ग्रामीणों से पूछकर उनकी आवश्यकताओं को चिन्हित कर उनके द्वारा ही विकास योजना को भी तय समय का लक्ष्य मानकर पूरी की जा रही है जो बड़ा बदलाव है। कहने का तात्पर्य है कि "गाँव में योजना डाली जा रही है योजना में गाँव को नहीं"।

पक्के इरादों से मिले परिणाम

श्री रामराव भोंसले
सीईओ जिला पंचायत सीहोर

- **स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत की योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या रणनीति बनायी गयी?**
  पंचायत के युवा जनप्रतिनिधियों के उत्साह एवं तेजी से कार्य करने के मंसूबों को देखते हुए शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। सर्वप्रथम ग्रामीणों के साथ सम्पूर्ण गांव का भ्रमण कर सर्वोत्तम जरूरतों को चिन्हित कर ग्राम के अपने संसाधनों की पहचान कर पांच वर्षीय विकास का खाका खींचा गया।
- **इससे पूर्व में विकास के क्या कार्य हो रहे थे?**
  गांवों में शासन की ओर से दी जाने वाली सम्पूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विशेष ग्राम में विकास कार्य चल रहे हैं जैसे- खेल मैदान, वाचनालय, पेयजल व्यवस्था। अब अन्य सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए शासन की इस प्रभावी योजना द्वारा पांच वर्षीय लक्ष्य तय कर विकास किये जा रहे हैं।
- **पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये?**
  जिले की 497 पंचायतों को पहले अपनी आय बढ़ाने के लिये जोर दिया गया। इसके लिए सभी पंचायतों में करारोपण (TAX) अनिवार्य किया गया। दरें निश्चित की गईं। हालांकि इस योजना से पूर्व में भी जिले की पंचायतों में करारोपण कराया जा रहा था।
- **ग्रामीण युवाओं की सुनिश्चित आय के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?**
  सर्वप्रथम PMKVY को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया गया। इसके लिए वर्कशाप का आयोजन किया गया। प्रत्येक पंचायत का प्रोजेक्ट बनाकर 100 प्रतिशत रोजगार की पहल की जा रही है। प्रत्येक 6 माह में रोजगार मेलों का आयोजन कर जिले भर से 400 से 600 युवकों को अलग-अलग संस्थाओं में रोजगार मुहैया कराए गए। वहीं जनपद बुदनी में प्रदेश का पहला ग्रामीण BPO स्थापित कर लगभग 88 युवकों को रोजगार दिया गया जो प्रदेश का पहला नवाचार है।
- **सुदृढ़ ग्राम सभा के लिए क्या रणनीति बनाई गई?**
  ग्राम सभा आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम वीडियो संवाद के द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया जाता है। पश्चात ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी हो इसके लिए कोटवार व अन्य साधनों से ग्रामीणों को नियत तिथि के लिए सूचित किया जाता है। प्रत्येक ग्राम सभा की वीडियोग्राफी कराई जाती है। वे सभी विभाग जो ग्रामीण योजनाओं से जुड़े हैं उन्हें अपने कामों का ब्यौरा देने के लिए निर्देशित कर उन्हें ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है।

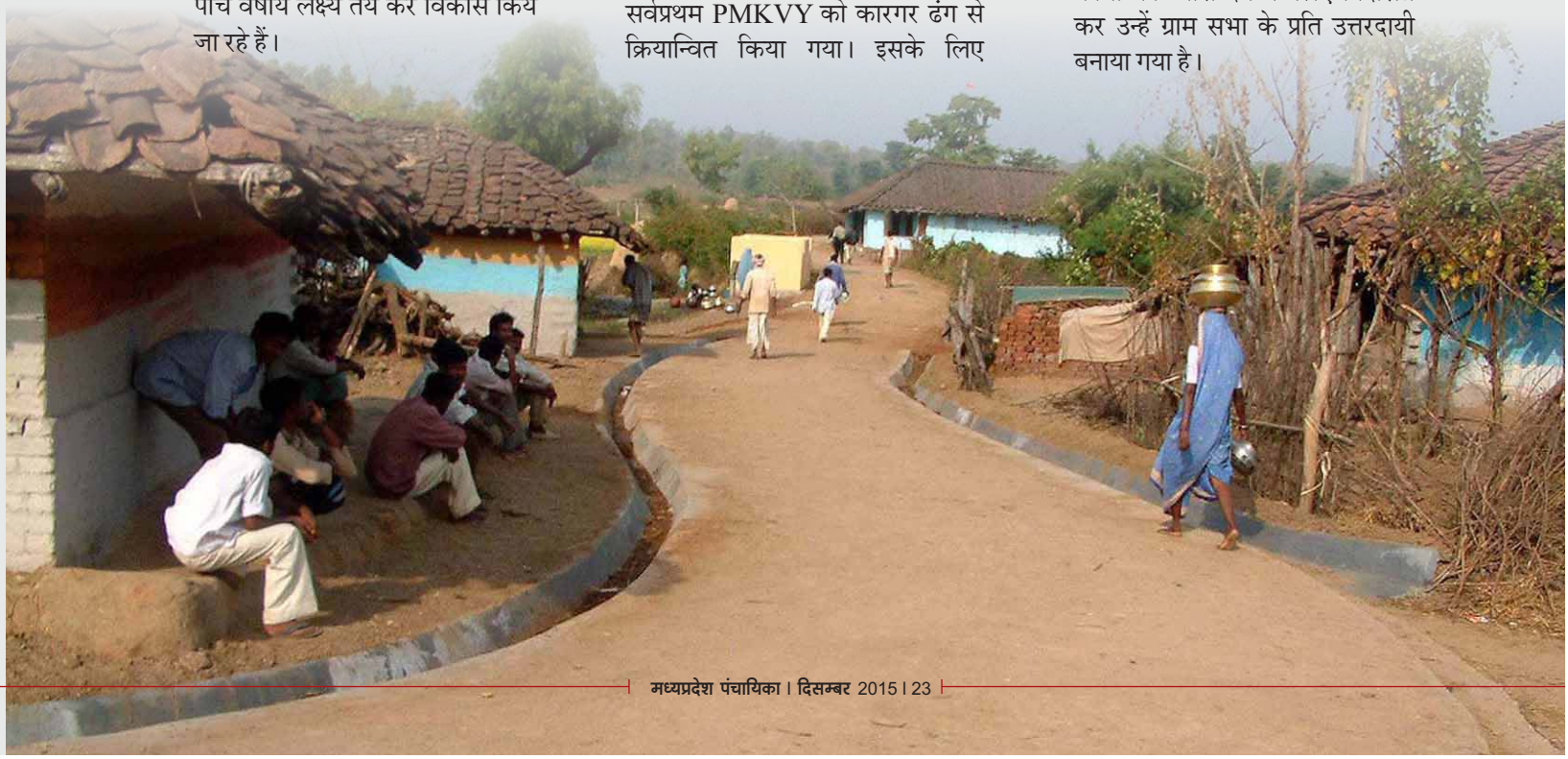

सामाजिक सहभागिता से उठे कदम

लोकतंत्र की वास्तविक अवधारणा ग्राम स्वराज के माध्यम से ग्राम पंचायत बोरदीकला यथार्थ से आदर्श की ओर निरन्तर प्रगतिशील है। महिला सशक्तीकरण के सभी आयामों को 50 प्रतिशत आरक्षण के द्वारा साकार करने का पूरा प्रयास ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है जो लोकतंत्र का जमीनी स्तर पर मजबूत होना दर्शाता है। महिला सशक्तीकरण की मिसाल के रूप में ग्राम पंचायत बोरदीकला की सरपंच श्रीमती शांताबाई की छवि को यथार्थ रूप में देखा जा सकता है। शांताबाई जनभागीदारी एवं शासन की योजना से ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने की ओर अग्रसर हैं। पेश हैं इस विषय पर उनसे बातचीत के कुछ अंश -

श्रीमती शांताबाई
सरपंच

- **स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा लागू करने के लिए क्या तैयारी हो रही है?**
  गांवों को सुन्दर स्वस्थ बनाने के लिए सरकार की योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। गांव की प्राथमिक आवश्यकताओं को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि इसमें पूर्व से भी कार्य हो रहा है फिर भी पांच वर्षीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य किये जा रहे हैं।
- **पहले और अब में क्या बदलाव महसूस हो रहा है?**
  स्पष्ट बदलाव महसूस हो रहा है। जनता की भागीदारी बड़ी है विशेषकर महिलाओं की। गांव की जो भी शिकायतें या आवश्यकताएं हैं उसकी चर्चा पंचायत में हो रही है। चर्चा में हिस्सेदारी बढ़ी है। नागरिक विकास में भागीदारी निभा रहे हैं।
- **महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ी है?**
  काफी संख्या में महिलाएं घरों से निकलकर कार्यों में रुचि ले रही हैं। पंचायत में आना-जाना बढ़ गया है। प्रत्येक मंगलवार को एलसीडी पर शासन की ओर से दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में हिस्सेदारी बढ़ी है। गांव की चंद्रकान्ता स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कारण सक्रिय भागीदारी बढ़ी है।
- **गांव की विकास योजनाएं किस प्रकार से तैयार की गयीं?**
  सर्वप्रथम गांव में भ्रमण कर प्राथमिक आवश्यकताएं निर्धारित की गयीं। प्रत्येक कार्य को वर्षवार निर्धारित किया पश्चात ग्राम सभा बुलाकर उसे अनुमोदित कराया गया।
- **सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए?**
  भ्रमण के लिए दो दिन पूर्व ही नागरिकों को सूचना दे दी गई। आग्रह किया गया कि अधिक संख्या में आकर आवश्यकताओं को चिन्हित करें। इसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए एवं विकास की आवश्यकता चिन्हित की गई।

● **सचिन गंगराड़े**

स्वच्छ मध्यप्रदेश का सपना होगा साकार

महात्मा गांधी के स्वच्छ ग्राम के स्वप्न को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दो अक्टूबर, 2014 को बापू के जन्म दिन पर ही स्वच्छ भारत मिशन को प्रवर्तित किया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के उद्देश्यों को सबसे पहले पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मिशन को जनांदोलन का स्वरूप देकर क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विशेष लक्ष्य निर्धारित करते हुए वर्ष 2018 तक संपूर्ण 22,825 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत से आशय वे ग्राम पंचायतें जिनमें सभी घरों में स्वच्छ व सुरक्षित शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाकर शत-प्रतिशत उपयोग होने लगा हो, बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान होने लगा हो, स्वच्छता की निरंतरता के लिए समुदाय स्तर पर समिति अथवा दल का गठन कर निगरानी की जा रही हो और सभी को व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे-साबुन से हाथ धुलाई, स्वच्छ जल का उपयोग आदि व्यवहार में लाने की आदत आ गई हो।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग पर रुपये 12000/- की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में अब तक 6.35 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रदेश में कराया जा चुका है एवं कुल 18.00 लाख शौचालय निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायतों, प्रस्तावित स्मार्ट ग्राम पंचायतें, प्रस्तावित सांसद आदर्श ग्राम पंचायतें और 10000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतें संपूर्ण स्वच्छ बनाने के साथ-साथ रासायनिक खादों और बीमारियों के बढ़ते जंजाल से मुक्ति के लिए कचरे से खाद बनाकर कचरे के निपटान हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को लागू किया रहा है।

क्रियान्वयन की प्रक्रिया :- प्रदेश में शौचालय निर्माण की मूल प्रक्रिया व्यवहार परिवर्तन और तदुपरांत शौचालय निर्माण एवं उपयोग अर्थात् मात्र संरचना के निर्माण तक सीमित न होकर सोच बदलने व बदली सोच के अनुरूप आचरण पर टिकी हुई है। इसी कारण प्रदेश में व्यवहार परिवर्तन के लिए व्यापक रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा

है। इसके अंतर्गत "समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता" अर्थात् CLTS पद्धति के माध्यम से जागरूकता के प्रचार-प्रसार को आंदोलन का रूप दिया गया है। स्वच्छता दूतों, प्रेरकों, निगरानी समितियों, सत्यापन दलों आदि विभिन्न तरकीबों से जन-जन को स्वच्छता के प्रति सजग व समर्पित करने का महती अभियान चलाया जाकर मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। पात्र चयन हेतु "समग्र परिवार सूची" का उपयोग किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि, प्रोत्साहन राशि हेतु पात्रों के नामों का दोहराव रोकने एवं मोबाइल एप द्वारा शौचालय निर्माण एवं उपयोग की सूक्ष्म मॉनीटरिंग संभव हो सकी है। इससे इतर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता व उपयोग हेतु वृहद स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन भी जारी है। प्रोत्साहन राशि को त्वरित व गैर भेदभाव पूर्ण ढंग से जारी करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का सुगम प्रयोग किया जा रहा है। जिन परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहित राशि की पात्रता नहीं है, उनके लिए शौचालय निर्माण हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आम जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहभागी विधियों से स्वच्छता का शंखनाद कर समूचे प्रदेश को स्वच्छ बनाने के प्रति संकल्पित होकर गुणवत्तापूर्ण लक्ष्यपूर्ति की ओर अग्रसर है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

हमारी दैनिक गतिविधियों के कारण अनेक प्रकार के ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है एवं उनकी मात्रा में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसके कारण हमारी वायु, जल एवं भोजन प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नित नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिस कारण हमारे आय का काफी हिस्सा इलाज में खर्च हो जाता है तथा हर आगामी पीढ़ी पूर्व की तुलना में कमजोर पैदा हो रही है।

हमारे रहन-सहन का स्तर सुधरने एवं प्रगतिशील समाज का होने के कारण ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट का उत्पादन रुकना संभव नहीं है, लेकिन उनका उपचार कर अपशिष्ट को समाज के उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सुकल्या क्षिप्रा द्वारा ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट का परिवहन, उपचार परिसंस्करण एवं रिसाईकिलिंग कर उन्हें उपयोग लायक बनाने हेतु उक्त कार्ययोजना तैयार की गई है।

परियोजना का उद्देश्य

- ग्राम को स्वच्छ सुन्दर बनाना।
- स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का क्रियान्वयन करना।
- मानव जीवन की सुरक्षा एवं रहन-सहन स्तर बढ़ाना।
- वातावरण को प्रदूषण मुक्त करना एवं आबादी को स्वच्छ रखना।
- ठोस अपशिष्ट का रिसाईकिलिंग कर उपयोग में लाना।
- द्रव अपशिष्ट को अपशिष्ट अलग कर पानी को सिंचाई के लिए उपयोगी बनाना।
- ग्रामीणजनों के लिए रोजगार सृजित करना।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य

- स्वच्छता, साफ-सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
- दो अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना।
- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता और आदतें अपनाकर समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

मध्यप्रदेश में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियां प्रवेश के 1000 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इस मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त हो चुकी ग्राम पंचायत, सिंहस्थ मार्ग अंतर्गत पड़ने वाली प्रस्तावित स्मार्ट ग्राम पंचायत, प्रस्तावित सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों, 10,000 से अधिक आबादी

वाली ग्राम पचांयतों में ठोस एवं तरल कचरे, गंदे पानी से उत्पादक द्रव्यों में परिवर्तित कर कचरे से कंचन बनाने की नायाब विधि अपनाई जाये।

वस्तुतः हमारा देश ग्रामों में बसता है और ग्राम हजारों वर्षों से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता के साथ समृद्ध रहे हैं, किन्तु विकास की अंधी दौड़ और प्रकृति के अविवेकपूर्ण अंधे दोहन ने समस्याओं का अंबार लगा दिया है। आज हमारी प्रकृति ही हमसे रूठी हुई सी लगती है। हमारी मिट्टी विषैली रासायनिक खादों के अनियंत्रित प्रयोग से अपना मूल अस्तित्व खोती जा रही है। प्रदूषित मिट्टी के ऊपर गिरने वाला बरसाती पानी भी प्रदूषित होकर जमीन के अंदर जा रहा है। नदियों, तालाबों में बह रहा है। कृषि और सब्जी की सिंचाई में उपयोग हो रहा है। इसके कारण उत्पन्न होने वाला अन्न-सब्जियां पोषकता प्रदान करने की बजाय बीमारियों के घर बनते जा रहे हैं। इन सारी समस्याओं से निपटने का रामबाण सिद्ध होने वाली है ये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एक तरफ गांव के कचरे का किफायती सरल तकनीकी आधारित पर्यावरण हितैषी एवं सहज योग्य सामाजिक विधि से अनुरूप निपटान है तथा दूसरी ओर इसमें ग्राम के सौन्दर्य में भी चार चांद लगेंगे। इस तकनीक को अपनाने के बाद ग्राम में होने वाले मलेरिया, पेचिस, टाईफाईड, ब्रोंकाईटिस, हेपेटाईटिस, कैंसर आदि 48 संक्रामक बीमारियों से निजात मिल सकेगी। बीमारियों से निजात मिलने का मतलब है कि प्रति परिवार प्रति माह 1000 से 1500 रुपये दवाईयों पर होने वाले खर्च की बचत। इसका आशय यह है कि 500 परिवार वाले एक गांव में प्रतिमाह लगभग 5 से 7 लाख रुपये केवल दवाईयों पर होने वाले खर्च की बचत और यह बचत सालाना जोड़ें तो 60 से 80 लाख होती है।

ग्राम में प्रति व्यक्ति प्रति दिवस औसतन 200 ग्राम ठोस अपशिष्ट एवं 30 लीटर तरल अपशिष्ट निकलता है। इस नाते 2000 की आबादी वाले किसी ग्राम में 400 किग्रा ठोस

अपशिष्ट एवं 9000 लीटर तरल अपशिष्ट निकलता है। वर्तमान में प्रबंधन के अभाव में यह कचरा और तरल अपशिष्ट गंदगी, अस्वच्छता एवं बीमारियों का कारण बनते हैं। किसी भी गांव की तस्वीर देखने पर सुखद अहसास नहीं होता, किन्तु जिस गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रारंभ किया गया है, उनमें ग्राम का कायाकल्प होता दिखाई दे रहा है। देवास जिले के खातेगांव जनपद की गाम पंचायत बछखाल ग्राम पंचायत के सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों की सहभागिता से "Green Village, Clean Village" आंदोलन अनावरत चलाकर ग्रामीणों ने अनूठी मिसाल कायम की है। ग्राम के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो "स्वस्थ गांव स्वच्छ गांव" की गांधी जी की परिकल्पना धरती पर उतर आई हो।

ग्राम में प्रत्येक परिवार के लोग प्रातःकाल उठकर अपने घर की सफाई करते हुए सड़क एवं नाली भी साफ करते हैं। ग्राम में पॉलीथिन, प्लास्टिक को इकट्ठाकर कबाड़ियों को बेचा जाता है तथा गोबर, हरी पत्तियां, सब्जी के छिलके आदि से जैविक खाद बनाकर उसे घरेलू किचन गार्डन (बगीचा) और खेतों में प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू गंदे जल को (सेप्टिक वाटर/ब्लेक वाटर) किचन गार्डन में प्रयोग करने और अतिरिक्त जल को सोखता गड्ढे में उतारे जाने की शुरुआत होने से गांव के घर-घर में सब्जी आदि का उत्पादन शुरू हो गया है। इससे ग्रामीणों को रोजाना सब्जी में खर्च होने वाले 40-50 रुपये, महीने भर में लगभग 1500 रुपये तक की स्पष्ट बचत होने लगी है। साथ ही गोबर और कचरे से वर्मी खाद के प्रयोग से रासायनिक खाद पर निर्भरता स्वतः ही कम हो रही है। आने वाली पीढ़ियों में विषमुक्त भोजन और फल आदि मुहैया कराया जाना संभव हो सका है।

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह परियोजना "घर का कचरा घर में और घर का पानी घर में" की बुनियादी सोच पर आधारित है। यह प्रक्रिया प्रदेश में हमारी ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीणों को परावलंबन से स्वावलंबन, विषयुक्त उत्पादों से विषमुक्त उत्पादों की ओर ले जाती है। गंदगी के विवेकपूर्ण निपटान से स्वच्छ परिवेश और बीमारियों में कमी प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस विधि से जल संरक्षण एवं भू-जल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित रूप से होगी। इससे भविष्य में जल संरक्षण का भी समाधान हो सकेगा। अगर सच कहा जाये तो तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की यह विधि कचरे से कंचन पैदा करने की पारस मणि के समान है।

● **हेमवती वर्मन**
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा)

सकरीगढ़ बना जिले का पहला खुले में शौच मुक्त ग्राम

मध्यप्रदेश के गाँवों में शौचालय बनाने तथा उसका उपयोग करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को चरितार्थ करते हुए जिले की जनपद पंचायत बड़वारा के ग्राम सकरीगढ़ को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। सकरीगड़ जिले का प्रथम खुले में शौच मुक्त ग्राम बन गया है। इस अवसर पर सकरीगढ़ में गर्व यात्रा निकाली गई और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्री मोती कश्यप, जिला पंचायत सदस्य श्री धीरेन्द्र सिंह, कलेक्टर श्री विकास सिंह नरवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. के.डी. त्रिपाठी, पूर्व विधायक श्री ध्रुव प्रताप सिंह, एस.डी.एम. श्री एस.यू. सैयद, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अल्लो बाई, सरपंच श्रीमती मगनी बाई, जनपद पंचायत बड़वारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रदीप सिंह, अनेक जनप्रतिनिधि शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। आयोजन में विधायक श्री मोती कश्यप ने कहा कि ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाने में माताओं एवं बहनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्राम सकरीगढ़ ने पूरे जिले में एक मिसाल कायम की है। ग्राम में शौचालय निर्माण कर ग्राम को खुले में शौच से मुक्त जिले का प्रथम ग्राम हो गया है। हमें ग्रामों को स्मार्ट ग्राम बनाना है। ग्राम में साफ-सफाई की जाये। कचरा एवं पानी निकासी का प्रबंध किया जाये। सकरीगढ़ से प्रेरणा लेकर जिले की अन्य ग्राम पंचायतों को भी खुले में शौच से मुक्त किया जाये और प्रदेश में जिले का नाम रोशन किया जाये। कलेक्टर श्री विकास सिंह नरवाल ने कहा कि सकरीगढ़ जिले का प्रथम खुले में शौच मुक्त ग्राम बन गया है। इसमें माताओं-बहिनों, कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। शौचालय आज की जरूरत है। वर्षों से खुले में शौच के लिए बाहर जा रहे हैं। इस सोच में परिवर्तन करना होगा। जैसा ग्राम सकरीगढ़ वालों ने किया है। अन्य ग्रामों के लोग भी सकरीगढ़ से प्रेरणा लेकर अपने ग्राम को भी खुले में शौच से मुक्त करायें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. के.डी. त्रिपाठी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम को खुले में शौच मुक्त ग्राम बनाया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाकर असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। ग्राम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अन्य ग्राम भी इसके समान ही कार्य करें। पूर्व विधायक श्री ध्रुव प्रताप सिंह ने कहा कि सकरीगढ़ ने जिले की अन्य पंचायतों को रास्ता दिखाया है। जहाँ सोच अच्छी है वहाँ शौचालय है। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अल्लोबाई, सरपंच श्रीमती मगनी बाई द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए।

जनपद पंचायत बड़वारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ने कहा कि वर्षों से खुले में शौच के लिए ग्रामीणजन बाहर जाते थे, परन्तु अब ग्राम के हर घर में शौचालय बन गया है। सभी के सामूहिक प्रयास से ग्राम सकरीगढ़ खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। ग्राम सकरीगढ़ के कार्यक्रम में जिला एवं जनपद स्तरीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणजनों द्वारा गर्व यात्रा भी निकाली गई। यात्रा में जवाहर नवोदय विद्यालय के हर्षद सोनी बैंड पार्टी द्वारा मार्च पास्ट किया गया। बार्डस्ले उ.मा.वि. कटनी शाला की छात्र-छात्राओं एवं ग्राम बदरी के सरपंच श्री रामकिशोर द्वारा संगीत के साथ स्वागत गीत, स्वच्छता गीत एवं देशभक्ति गीत प्रस्तुत किये गये।

ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाने वालों का सम्मान - ग्राम सरकीगढ़ को खुले के शौच मुक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में सर्व श्री मेवालाल दाहिया निगरानी समिति, श्रीमती बैकुन्ठी बाई स्वच्छता समिति, श्री मनमोहन सोनी एवं श्री ऋषि केवट स्वच्छता दूत, सचिव श्री रेवाप्रसाद विश्वकर्मा, उपयंत्री श्री तिवारी एवं रोजगार सहायक सुशील केवट का सम्मान किया गया। दोनों स्वच्छता दूतों को तीन-तीन हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया।

● महेश बेलिया

सांसद आदर्श ग्राम योजना

तारासेवनिया को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है

मध्यप्रदेश अब दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। संसदीय क्षेत्र होने के साथ-साथ यह राजधानी भी है इसलिए विकास के लिए आदर्श ग्राम को चुनना चुनौती भरा है, लेकिन विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं भोपाल सांसद श्री आलोक संजर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के तारासेवनिया का चयन किया है। यह ग्राम तारासेवनिया इसलिए भी भिन्न है क्योंकि यह पहले से बसा हुआ नहीं है, यह ग्राम पूर्णतः बसाया हुआ ग्राम है। इसलिए यह जरूरी है कि यह ग्राम मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण हो और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सके। ग्राम में चुनौतीभरे काम को बखूबी अपनी दूरदृष्टि व प्रशासनिक क्षमता की बदौलत करने से ग्राम का कायाकल्प दिखने लगा है। वे इसे ऐसा मॉडल ग्राम बनाना चाहते हैं कि कोई भी राजधानी घूमने आये तो वो इस आदर्श ग्राम तारासेवनिया को देखने जरूर आये। तारासेवनिया के विकास को लेकर हरीश बाबू ने मध्यप्रदेश के भोपाल सांसद श्री आलोक संजर से मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए लम्बी बातचीत की। बातचीत के सम्पादित अंश पाठकों के लिए हम प्रकाशित कर रहे हैं :

प्रश्न - आपके नजरिये से विकास की क्या अवधारणा है?

उत्तर- मेरे नजरिये में विकास का मतलब समग्र विकास से है। सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक के साथ अधोसंरचना से है। सम्पूर्ण रूप से विकास ही समग्र विकास की अवधारणा को सही साबित करेगा।

प्रश्न - आम जनता का सामाजिक व आर्थिक विकास किस तरह प्रदेश के विकास में सहायक है?

उत्तर - माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार देश के कई गांव और शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर हैं और जब आम आदमी का आर्थिक व सामाजिक विकास होगा, तभी गांव, शहर व देश स्मार्ट बनेंगे। धरातल पर विकास का होना आवश्यक है।

प्रश्न - सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में आपके क्या विचार हैं?

उत्तर - सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसी योजना है, जो कि गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगी। इस योजना के अंतर्गत जनप्रतिनिधि भी गांवों के प्रति गंभीर होकर विकास के लिए प्रतिबद्ध नजर आएंगे तथा इस हेतु अलग से बजट की व्यवस्था न की जाकर राज्य एवं केन्द्र में प्रचलित योजनाओं की सतत मॉनीटरिंग के द्वारा ही इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

प्रश्न - आपने आदर्श ग्राम के लिए तारासेवनिया ही क्यों चुना?

उत्तर - देखिए, मैंने आदर्श ग्राम के लिए तारासेवनिया को ही इसलिए चुना क्योंकि यह गांव बसाया हुआ गांव है। इस कारण यहां के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना मेरे लिए प्राथमिकता थी। शहर के करीब होने के कारण भी यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। कृषि भूमि छोटी होने के कारण मजदूरों का पलायन शहर की ओर होता है जिसे रोकना है।

प्रश्न - आप जब पहली बार आपके द्वारा चयनित गांव पहुंचे तब आपने क्या महसूस किया?

उत्तर- संसदीय चुनाव के दौरान मेरा तारासेवनिया का भ्रमण हुआ। यहां सरल एवं सहृदय लोग रहते हैं तथा यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं इसलिए मुझे अपनापन लगा। चुनाव के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम की परिकल्पना सामने आई तो मैंने तारासेवनिया को आदर्श ग्राम के रूप में चुना। मैंने यहां महसूस किया कि सामाजिक स्तर ठीक नहीं था। मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी था। पानी, सड़क व दूसरी मूलभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसे मैं ऐसा आदर्श ग्राम बना कर रहूंगा कि लोग राजधानी घूमने भी आए तो यहां सहसा ही चले आएंगे।

प्रश्न - आपके द्वारा आपके आदर्श ग्राम तारासेवनिया में क्या-क्या कार्य करवाये जा रहे हैं?

उत्तर- तारासेवनिया में अधिकांश विकास कार्य प्रगति पर हैं। यहां सरकारी स्कूल में प्रारम्भिक कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। यहां की आंगनवाड़ी हाईटेक होने के साथ प्ले स्कूल के प्रारूप में विकसित भी की जा रही है। मैंने सांसद निधि से कई सड़कों और सामुदायिक भवनों का

निर्माण करवाया है। लगभग 80 फीसदी घरों में नल-जल योजना के माध्यम से पर्याप्त पेयजल मुहैया कराया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहले की अपेक्षा अब स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है। एक पशु चिकित्सालय भी स्वीकृत हुआ है। मुख्यमंत्री हाट बाजार, सामुदायिक भवन, मछली बाजार, शौचालय एवं स्वच्छता अभियान मेरी प्राथमिकताएं हैं।

प्रश्न - तारासेवनिया राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है? ऐसे में विकास की गति कैसी है?

उत्तर - आदर्श ग्राम में चिन्हित विकास बिन्दुओं के अनुरूप तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। हाल ही में मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह निरंतर आदर्श ग्राम जायें और विकास कार्यों की समीक्षा करें। मैं स्वयं भी महीने में कम से कम दो बार वहां जाकर ग्रामीणों से मिल कर अद्यतन स्थिति की जानकारी लेता हूं। फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करता हूं। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि एक वर्ष के अंदर तारासेवनिया पूर्ण रूप से आदर्श ग्राम का स्वरूप ले ले। माह अक्टूबर में ही तारासेवनिया में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर 20 वार्डों के एक-एक अधिकारी को प्रभारी बनाया गया तथा मैंने स्वयं भी एक वार्ड का प्रभार अपने पास रखा है तथा मैं स्वयं इस वार्ड की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। उम्मीद है मैं इस ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में प्रतिष्ठित करूंगा।

प्रश्न - आदर्श गांव में लक्ष्य विकास तक पहुंचने के लिये क्या आपकी अपनी कोई विशेष योजना है?

उत्तर- हां, मैंने विकास की शुरुआत निचले स्तर से ही योजना बनाकर की है। मैंने ग्रामीणों को सर्वप्रथम सफाई के लिये प्रेरित किया, जिसका परिणाम है कि तारासेवनिया ग्राम में कोई भी खुले में शौच करने नहीं जाता है। इसके बाद ग्रामीणों की एक और समस्या थी कि यहां अंग्रेजी माध्यम का कोई स्कूल नहीं था इसलिए ग्रामीणों को उत्कृष्ट शिक्षा के लिये अपने बच्चों को शहर भेजना पड़ता था, लेकिन अब तारासेवनिया में ही हम बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और अन्य अधोसंरचना को भी सशक्त बनाने के लिये वचनबद्ध हैं। हमारी विकास योजना के परिणाम दिखने प्रारम्भ हो गये हैं।

प्रश्न - आपके द्वारा अभी तक किये गये प्रयासों से क्या आपको कोई बदलाव देखने को मिला?

उत्तर - मेरे द्वारा अब तक किये गये प्रयासों का परिणाम संतोषप्रद है। जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि और ग्रामीणों को लाभ मिला है। मेरे प्रयासों और मेरी सक्रियता से विभागीय अधिकारियों ने भी मेरे आदर्श ग्राम तारासेवनिया के विकास को गंभीरता से लिया है, जिससे समस्याएं कम समय में ही हल होने लगी हैं। अब ग्रामीणों को राजधानी के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

प्रश्न - स्वच्छता अभियान को एक वर्ष हो चुके हैं? आपके द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये?

उत्तर- स्वच्छता अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। मैंने आदर्श ग्राम में स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों में इतनी जागरूकता बढ़ाई है कि अब वर्तमान स्थिति में ग्रामीण स्वयं ही अपने आस-पास की सफाई का ध्यान रखते हैं। तारासेवनिया स्वच्छता के मामले में आस-पास के ग्रामों के लिए आदर्श ग्राम बन चुका है। ग्रामवासी अपने-अपने घर के सामने नाली की सफाई स्वयं करते हैं।

प्रश्न - आपके संसदीय क्षेत्र में कौन-कौन-से विकास कार्य हो रहे हैं?

उत्तर- केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय कर कुछ कार्यों को फलीभूत किया गया। रेल्वे विभाग से शताब्दी ट्रेन को हबीबगंज तक, पुणे एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करवाया गया, स्टेशन में बैठक व्यवस्था हेतु सांसद निधि से यात्री बैंच लगवाई गई। काटजू अस्पताल के लिए ऐंबुलेंस दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, नाली, जल वितरण व्यवस्था हेतु योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है। सीहोर में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करया गया। भोपाल संसदीय क्षेत्र स्थित सभी विधानसभा को सांसद निधि से पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार राशि वितरित की गई है, जिससे पूरे संसदीय क्षेत्र में विधायकों के अनुसार विकास कार्य किए जा रहे हैं।

गांधी जी का ग्राम स्वराज

स्मार्ट ग्राम - स्मार्ट पंचायत से समग्र विकास

अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा।
सब सुन्दर सब विरुज सरीरा।।
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना।
नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।

'भारत माता ग्रामवासिनी' की अवधारणा से प्रेरित महात्मा गांधी गांव को भारत-राष्ट्र की बुनियादी इकाई तथा ग्राम पंचायत को विकेन्द्रीकृत सुशासन और स्वशासन का मॉडल मानते थे। गांधी जी मूलतः पश्चिम की वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य के एकांगी सिद्धांत से उतने प्रभावित नहीं थे जितने कि भारतीय संस्कृति में रची-बसी आदर्श राज्य यानी रामराज्य की कल्पना से। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में रामराज की जो विशद विवेचना की है उसमें से मात्र चार पंक्तियां ऊपर उद्धरित की गई हैं। स्मार्ट ग्राम के लिये जो मूल आवश्यकताएं सफाई, कमाई, दवाई और पढ़ाई के रूप में मान्य हैं वे काव्य-भाषा में उपरोक्त चौपाइयों में रेखांकित हैं।

यह केवल एकांगी अधोसंरचनात्मक विकास की अवधारणा न होकर समग्र भौतिक और आध्यात्मिक विकास का प्रकल्प है जो भावी भारत के कुशल, समर्थ और जवाबदार नागरिक तैयार करेगा। जो ग्राम अपनी पंचायत के माध्यम से मोटी-मोटी यह व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है वही स्मार्ट ग्राम है और उसकी पंचायत स्मार्ट पंचायत है। शब्दकोष के अनुसार स्मार्ट शब्द का भावार्थ है चतुर और चुस्त। क्या यह अच्छे शासन की चरित्रगत विशेषताएं नहीं हैं।

यद्यपि मध्यप्रदेश में स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत की बहुत कुछ अधोसंरचना पहले से मौजूद है लेकिन जो कुछ और बातें बेहद जरूरी हैं उनमें मुख्य हैं लोक सेवाओं की त्वरित अदायगी, आर्थिक स्वावलंबन, समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण, पर्यावरण जागृति आदि। चूंकि मध्यप्रदेश सुशासन के संस्कारों के साथ-साथ नवाचारों में भी विश्वास रखता है अतः विभिन्न राज्यों में पंचायतों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करते रहते हैं।

प्रत्येक राज्य में कोई न कोई मॉडल ऐसा है जो अनुकरणीय है अथवा स्थानीय परिस्थितियों से तालमेल बैठाकर उसे लागू किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। इनमें संस्थागत स्तर पर पारदर्शी और उपलब्धि आधारित आकलन पद्धति के साथ-साथ लोक सेवा अदायगी आदि के मानक हैं। चूंकि लोक प्रशासन और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये प्रधानमंत्री अवार्ड दिये जाते हैं। अतः मध्यप्रदेश भी ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है। मूलतः ऐसी पहल होना चाहिये जिससे सामान्य जन का और अधिक हित साधन हो। बताते चलें कि जिन राज्यों में इन प्रणालियों का अध्ययन किया गया, उनमें से चार-पांच राज्यों की कुछ योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी सुशासन और ई-गवर्नेंस विषयक योजनायें यहां पहले से लागू हैं।

उदाहरण के लिये समस्तीपुर, बिहार की 'गर्भाशय बचाओ' योजना का अध्ययन किया गया। लेकिन मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उससे भी बेहतर काम कर रही है। इसके अंतर्गत गर्भाशय के उपचार अथवा सर्जरी के लिये पूर्व से ही संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति है। चिकित्सा के लिये उसका अनुमोदन अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ की 'फुलवारी पहल' एक अच्छी योजना है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में बच्चों के पोषण-आहार विषयक काम बहुत व्यापक और विस्तृत स्तर पर पहले से किया जा रहा है। यह काम अस्सी हजार से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों और बारह सौ से ज्यादा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से

संचालित है। छत्तीसगढ़ तो अविभाज्य मध्यप्रदेश का ही अंग था।

त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में 'सम्पूर्ण वित्तीय समावेश' योजना का भी अध्ययन किया गया। मध्यप्रदेश में तो यह योजना अति विशाल रूप में कार्यान्वित कर दी गई है। यहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन कर लिया गया है। तमिलनाडु के खदान प्रबंधन का भी अध्ययन किया गया। वहां खनन का समस्त कार्य माइनिंग कारपोरेशन के स्तर पर स्वयं किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में खदान लीज पर दी जाती हैं। विभाग, निगम और पंचायतों की असरदार भूमिका है। प्रायवेट लीज खदान मालिकों के द्वारा साफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है।

देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रशासन के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत अन्य राज्यों के चार कार्यक्रमों एवं ई-गवर्नेंस के अंतर्गत छह कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू किया जाये। यह निर्णय सर्वोच्च स्तर पर गहराई से अध्ययन-आकलन तथा विचार विनिमय के बाद लिये गये जिसमें अटल बिहारी सुशासन एवं नीति निर्धारण संस्थान, प्रशासन अकादमी, सामान्य प्रशासन विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग विभागों की निर्णायक भूमिका रही।

विभिन्न प्रदेशों के तमाम विषयों से संबंधित प्रोजेक्टों के गहन अध्ययन के पश्चात गुजरात, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के चार प्रोजेक्ट मॉडल मध्यप्रदेश में भी लागू करने का निश्चय किया गया है। इनके लिये अनुदान अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की गाइडलाइन भारत सरकार ने पहले ही जारी कर दी है। इन कार्यक्रमों में से दो को लागू करने का काम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को करना है और शेष दो का काम आदिम जाति कल्याण विभाग तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग करेगा। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं -

क्र.	कार्यक्रम का नाम	लागू करने वाला विभाग
1.	**संवेदना अभियान**, बलसाड़ और वापी गुजरात। इसके तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय सुनिश्चित करते हैं।	आदिम जाति कल्याण विभाग
2.	**ससुर खदेड़ी एवं इसके उद्गम का पुनरुद्धार** फतेहपुर, उत्तरप्रदेश, पंचायत क्षेत्रों में जलाशयों, उनके उद्गमों तथा जलग्रहण क्षेत्रों का पुनरुद्धार पर्यावरण मित्र और जनोपयोगी कार्यक्रम है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3.	**कौशल विकास कार्यक्रम** गढ़चिचोली, महाराष्ट्र व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाला यह कार्यक्रम बेरोजगारों का कौशल विकास करके उन्हें स्वरोजगार देने में समर्थ है। अर्जन क्षमता बढ़ाकर असामाजिक तत्वों को कम किया जा सकता है। निजी एजेन्सियों की मदद भी की जा सकती है।	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
4.	इरेविपेरूर ग्राम पंचायत, केरल स्वशासन को और बेहतर, त्वरित एवं जवाबदार बनाने के अत्याधुनिक तरीके। पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े कर्मियों एवं सभी स्टेक होल्डर्स को सुचारु रूप से प्रशिक्षित करके कार्यक्रम को और सक्षम तथा लोकहितैषी बना सकते हैं। पंचायतों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से स्मार्ट बना कर स्मार्ट ग्राम व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। मध्यप्रदेश में ऐसा कार्यक्रम पहले से लागू है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था ने गहरी जड़ें पकड़ ली हैं। हमारे प्रदेश में न्यूनतम अधोसंरचनात्मक आवश्यकताएं तो कमोवेश पूरी होने को हैं। अब जरूरत यह है कि ग्राम पंचायत लोकसेवा की अदायगी के संदर्भ में एक कार्यकुशल पेशेवर सेवाप्रदाता के रूप में स्थापित हो। वह अधोसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ मानव संसाधन के समग्र विकास के लिये कार्यक्रम आधारित सक्षम प्रयास करे। ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त संस्थानों-संगठनों में लोकोपयोगी समन्वय हो और सहभागिता पूर्ण नियोजन से पंचायतें स्वयं की आय सृजित करके आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। यथाशक्ति स्मार्ट पंचायत अपने स्तर पर वे समस्त काम करेगी जो सरकारें करती हैं। इसके तमाम घटकों में प्रमुख हैं अधोसंरचना विकास, सुनिश्चित आजीविका से आय में वृद्धि। गांव की बेरोजगारी हो तो नगर की ओर पलायन करवाती है। यदि यह पलायन न रुका तो स्मार्ट सिटी तो छोड़िये झुग्गी मुक्त नगर की कल्पना भी साकार होना मुश्किल है। स्मार्ट पंचायतों की कार्यशैली सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सहभागिता एवं जवाबदारी की होगी। यह आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव विकास की समग्र सोच है।

आर्थिक विकास के कुछ बिन्दु हैं : कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, पशुपालन जैसे भूउपयोग विषयक समस्त क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि और रोजगार सृजन द्वारा गरीबी उन्मूलन, कुटीर और लघु उद्योगों के साथ-साथ स्थानीय बाजारों का विकास, पेशेवर कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, ग्राम पर्यटन आदि। इसी प्रकार मानव संसाधन विकास के बिन्दु हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, आवास, नशामुक्ति, अंत्योदय, सामाजिक समरसता, स्व सहायता समूह, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, ऊर्जा बचत, व्यायाम, जैव विविधता बोध, ई-साक्षरता आदि। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी स्मार्ट पंचायतें एक सुव्यवस्थित, सक्षम, जवाबदार और पारदर्शी स्थानीय सरकार के कार्यालय की भांति गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाओं की अदायगी कर सकें। इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केरल की इरेविपेरूर ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली और शैली का अध्ययन किया गया। उल्लेखनीय है कि यह पंचायत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजी जा चुकी है। कुल 17 वार्डों की यह पंचायत ग्रामवासियों को 48 सेवाएं प्रदान करती है जो ग्राम जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लेती है। इनमें से 16 सेवा में 'सेवा के अधिकार' विषयक कानून के तहत हैं और शेष 32 सेवायें सिटीजन चार्टर में शामिल हैं। इनकी बाकायदा मानीटरिंग होती है।

इस ग्राम पंचायत ने जो काम जिस प्रकार किये हैं उनकी संक्षिप्ति इस प्रकार है : समस्त गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लोक सेवाओं की अदायगी, उच्च कर वसूली, शिक्षा (नॉलेज सेंटर, संस्कृत योग कक्षा में, कराटे क्लास आदि) स्वास्थ्य सेवा में सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट आवास अनुदान, पर्यावरण जागरूकता, कम्प्यूटरीकृत कार्यालय तथा कार्यप्रणाली, जागरूकता समितियों का गठन, कुटुम्बी के माध्यम से महिला सशक्तीकरण। यह काम तो मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से अनुकरणीय ढंग से किया जा रहा है। इरेविपेरूर पंचायत की कर व्यवस्था विचारणीय है। इसने गये साल 4599259 रु. कर के रूप में प्राप्त किये हैं।

लोगों के काम एक ही खिड़की पर हो जाते हैं। पंचायत कार्यालय में एक टच-स्क्रीन मशीन है जो निराकरण तक आवेदन की आद्योपान्त स्थिति बताती है। इरेविपेरूर ग्राम पंचायत के मॉडल की सफलता का एक मुख्य कारण केरल राज्य की सामाजिक-राजनीतिक जागृति है। वहां साक्षरता लगभग शत-प्रतिशत है। नर्सों और टायपिस्टों के लिये विख्यात केरल अपेक्षाकृत छोटा प्रदेश है। मध्यप्रदेश में तो पंचम पंचायत आम-निर्वाचन में 3,98,339 पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। यहां 527 ग्राम पंचायतें तो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। हमारे ग्रामों में मुद्रा प्रसार कम है जबकि केरल में खाड़ी के देशों का पैसा आने के कारण आर्थिक सम्पन्नता भी है। ग्राम पंचायत का आकार प्रबंधनीय है। अधिकारों के प्रत्यायोजन के साथ-साथ आम आदमी में पंचायत जैसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक-जागृति आधारित आदरभाव है। इस सबके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इस पंचायत की सफलता की कुंजी है।

मध्यप्रदेश में भी सूचना-प्रौद्योगिकी का चरणबद्ध प्रसार हो रहा है। पंचायत पोर्टल पर हर पंचायत के सामुदायिक विकास कार्यों और हितकारी मूलक योजनाओं की जानकारी दर्ज है। इससे पंचायतों के कामकाज और हिसाब-किताब में पारदर्शिता आई है। सुरक्षित भुगतान के उद्देश्य से पंचायत के बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था है। अब आंगनवाड़ी और प्राथमिक शालाओं के बच्चों को हफ्ते में तीन दिन सुगंधित दूध दिया जाता है। इससे लगभग 80 लाख बच्चे पोषण पा रहे हैं। राज्य की 79 हजार शालाओं में स्व सहायता समूहों द्वारा भोजन बनाने की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सड़क कनेक्टिविटी के मामले में सुदूर ग्रामीण अंचलों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रसंग में मध्यप्रदेश समूचे देश में अव्वल है। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कुल 13,810 सड़कें बनाई हैं जिनकी लंबाई 62 हजार किलोमीटर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 12905 कि.मी. लंबी 6028 सड़कें पुल-पुलियों सहित बनाई गई हैं जो अति सुदूर अंचलों में बसे 6306 गांवों के लगभग 18 लाख लोगों को मुख्य मार्गों से जोड़ती हैं। इसके नतीजतन ग्रामीण जीवन ने रफ्तार पकड़ी है। सुदूर ग्राम सम्पर्क और खेत-सड़क योजना के जरिये बीस हजार रोजगारमूलक काम शुरू हो चुके हैं। वर्ष 2014-15 में मनरेगा-श्रमिकों के बैंक खातों में 2812 करोड़ की रकम जमा की गई है। गांवों में कृषि विकास के लिये स्थानीय स्तर पर सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिये, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 6016 जल संग्रहण रचनाओं का निर्माण किया गया है। ये ऐसे कुछ काम हैं जिनसे मूलाधार संरचना के विकास के साथ-साथ मानव संसाधन विकास भी सुनिश्चित करके समग्र विकास के प्रकल्प को अमली जामा पहनाया जा रहा है। यह स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत की रचना में निर्णायक कदम है। मध्यप्रदेश की आवश्यकताओं और अन्य प्रदेशों के अनुकरणीय मॉडलों के तालमेल से हमने अपने प्रदेश में स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत का एक समग्र मॉडल तैयार किया है। इसे फिलहाल 313 विकासखंडों में प्रति विकासखंड के एक ग्राम समूह (क्लस्टर) पंचायत के मान से 313 क्लस्टर पंचायतों में लागू किया जाएगा। अगले साल के प्रारंभ में यह कार्य योजना पूरी हो जायेगी। भारत सरकार के सहयोग से सन् 2016 के मध्य तक यह प्रकल्प कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई शायद ही हो क्योंकि स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत का खाका यहां पहले से मौजूद है। अब उसमें सिर्फ रंग भरना है।

● **घनश्याम सक्सेना**

कार्यशाला में पंचायत राज अधिनियम के मुख्य प्रावधान, जिला पंचायत अध्यक्षों की शक्तियाँ और अधिकार तथा कर्त्तव्य, जिला पंचायत की स्थाई समितियों में होने वाली कार्यवाही, विकास की अवधारणा और विकेन्द्रीकृत नियोजन, जिला पंचायत निधि तथा लेखा और अंकेक्षण की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई। प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग सहित विभिन्न विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया गया।

सशक्त नेतृत्व से ग्रामीण अँचलों की बदलें तस्वीर

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा ने 18 दिसम्बर को भोपाल के आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में जिला पंचायत अध्यक्षों के पाँच दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के समापन पर जिला पंचायत अध्यक्षों से कहा कि वे सशक्त और प्रभावी नेतृत्व से ग्रामीण अँचलों की तस्वीर बदलें। महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 19 जिला पंचायत अध्यक्षों ने भागीदारी की। इनमें अधिकांश महिला जिला पंचायत अध्यक्ष थीं। श्रीमती शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिये।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष अपने-अपने कार्य क्षेत्र में हितग्राही मूलक योजनाओं और अधोसंरचना विकास के कार्यों बेहतर रूप से संपन्न करवाने के लिये सक्रिय भूमिका निभायें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपलब्ध संसाधनों की मदद और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली राशि से ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था तथा नल-जल योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करवायें। जरूरतमंद गरीबों के लिये पंचायत क्लस्टर स्तर पर रोज़गार के साधन सुलभ करवाने के प्रयास हों। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति में ग्रामीण अँचलों के विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा सकते हैं। इस मकसद से जिला पंचायतों को और अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। श्रीमती अरूणा शर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्षों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

प्रशिक्षण में जिला पंचायत अध्यक्षों को पंचायतराज व्यवस्था की अवधारणा, सत्ता के विकेन्द्रीकरण और सुशासन तथा 73वें संविधान संशोधन के संबध में महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया गया।

पंचायत राज अधिनियम के मुख्य प्रावधान, जिला पंचायत अध्यक्षों की शक्तियाँ और अधिकार तथा कर्त्तव्य, जिला पंचायत की स्थाई समितियों में होने वाली कार्यवाही, विकास की अवधारणा और विकेन्द्रीकृत नियोजन, जिला पंचायत निधि तथा लेखा और अंकेक्षण की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई। प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग सहित विभिन्न विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण के समापन पर संयुक्त संचालक पंचायतराज श्रीमती शिवानी वर्मा और श्री आई.एस. ठाकुर सहित प्रशासन अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कपिलधारा कुओं से एक हजार करोड़ सालाना अतिरिक्त आमदनी

मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की कपिलधारा उपयोजना से बनाये गये कुंओं से सालाना एक हजार करोड़ से अधिक आमदनी होने लगी है। एक आंकलन के मुताबिक कपिलधारा कुंए के हितग्राही कुंआ बन जाने से अब साल में तीन फसल तक लेने लगे हैं। अभी तक बरसाती फसल पर निर्भर रहने वाले किसान अपने खेतों में दो फसल और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। गरीब किसानों की निजी भूमि में सिचाई सुविधा के लिये बनाये गये कपिलधारा कुओं से प्रदेश में करीब 4 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित हुई है।

मध्यप्रदेश में मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना से तीन लाख से अधिक कुंए खुदवाये जा चुके हैं। तकरीबन एक लाख से अधिक लोगों को अन्य विभागीय योजनाओं से सिंचाई पंप भी मुहैया कराया गया है। जिससे किसानों के पास सिंचाई के स्थायी स्त्रोत तैयार हुए हैं।

मनरेगा की कपिलधारा कूप योजना ग्रामीण किसानों की गरीबी दूर करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कपिलधारा कुंओं के जरिये प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एक फसलीय कृषि भूमि को द्विफसलीय भूमि में बदलने में कामयाबी हासिल हुई है। एक आंकलन के मुताबिक इन हितग्राहियों को रबी सीजन में औसतन 7.5 क्विंटल प्रति हैक्टेयर के मान से प्रति क्विंटल चना/गेहूँ की औसत दर 2,500 रुपये के मान से कुल 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी रबी फसलों से हुई है।

इसी तरह कपिलधारा कूप योजना के जरिये कुल 4 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि में से करीब 20 फीसदी (80 हजार हैक्टेयर) भूमि में हितग्राही किसानों ने फलों और

सब्जियों के उत्पादन से करीब 40 हजार प्रति हैक्टेयर के मान से कुल 320 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है। योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में गरीब किसान द्विफसलीय खेती का लाभ और फल तथा सब्जियों का उत्पादन कर हर साल करीब 1,070 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हासिल कर रहे हैं। मनरेगा के कपिलधारा कूप से गरीब हितग्राही किसानों की सालाना आमदनी में औसतन करीब 34 हजार रुपये का इजाफा हुआ है।

मनरेगा से मिली भीलबरखेड़ा को "कद्दू गांव" की पहचान

आज धार जिले के भीलबरखेड़ा को कद्दू गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव के कद्दू प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों तक बेचने के लिये जाता है। दो हजार की आदिवासी आवादी वाले इस गांव की यह पहचान मनरेगा से मिली है। मनरेगा से बनवाये तकरीबन एक सैकड़ा कपिलधारा कुंए की सिंचाई से इस गांव में सब्जी और खाद्यानों की पैदावार में कई गुना इजाफा कर यहां के किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है।

यहां के लोग सिंचाई की सुविधा के कारण एक फसली खेती के स्थान पर तीन फसली खेती लेने लगे हैं। इससे आय में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। पहले जहां 5-10 हजार रुपये आय होती थी, वहीं अब 60-70 हजार रुपये आय हो जाती है। अब वे मजदूरी नहीं करते हैं, बल्कि अपने खेतों पर दूसरों को मजदूरी देते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गाँव में सार्वजनिक तालाब के निर्माण से कपिल धारा कूपों को जैसे जीवन ही मिल गया है।

कपिल धारा कूप रिचार्ज हो रहे हैं तथा कुओं में गर्मियों में भी पानी भरा रहता है, जिसके कारण वे गर्मियों में कद्दू व अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। कपिल धारा कूपों में सिंचाई के लिए डीजल पम्प/विद्युत पम्प

मिल जाने से स्प्रिंकलर/ड्रीप सिंचाई पद्धति से फसलों को सिंचित करते हैं।

कुछ साल पहले तक धार जिले के नालछा ब्लॉक के भीलबरखेड़ा की तस्वीर बदहाल, जीर्ण-शीर्ण मकान, रोज़गार के अभाव में पलायन और वीरान नजर आती थी। जैसे ही भील बरखेड़ा के ग्रामीणों के जीवन में मनरेगा आई वैसे ही इस गांव की सूरत नहीं सीरत भी बदल गई है। वीरान सा दिखाई देने वाला भीलबरखेडा आज न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है बल्कि कद्दू की भरपूर पैदावार के कारण इसे कद्दू गांव के नाम से भी जाना जाता है। अब भील बरखेड़ा आत्मनिर्भता और विकास की नई कहानी कह रहा है तो इसका बहुत हद तक श्रेय मनरेगा और यहां के मेहनतकश ग्रामीणों को जाता है।

भीलबरखेड़ा में पहले किसान जहां एक फसल सोयाबीन/मक्का उगाते थे, वे अब गेहूं, सब्जियाँ व बागवानी फसले पैदा करते हैं। कपिलधारा व दूसरी योजनाओं से गाँव में समृद्धि आई है। वर्तमान में गाँव में 39 पक्के मकान, 80 मोटर साइकिल, 02 चार पहिए लक्जरी वाहन, 08 ट्रेक्टर व 02 मेटाडोर हैं। उन्होंने बताया कि भीलबरखेड़ा में 95 कपिल धारा कूप तथा 72 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे दिए गए हैं। पट्टेधारकों को डीजल/विद्युत पम्प भी प्रदाय किया गया है। गाँव में इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास व अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं में भी लाभान्वित किया गया है।

भीलबरखेड़ा में मनरेगा से 74 कपिलधारा कूपों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 34 कूप जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं। कपिलधारा के आगमन से गांव न केवल सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है वरन् रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों के उत्पादन में भी व्यापक वृद्धि हुई है। इस तरह मनरेगा ग्रामवासियों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सिद्ध हुई है। गांव के विकास की कहानी इसी से सिद्ध होती है कि हरी सब्जियों खासकर कद्दू के लिए यह इंदौर संभाग में अपनी खासी पहचान रखता है। इंदौर की मंडी में भीलबरखेड़ा के कद्दू ख्याति प्राप्त किये हुए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली पार्वतीबाई के लिए तो मानों मनरेगा वरदान सा लेकर आई। उसके द्वारा अपने खेत पर न केवल भरपूर सिंचाई की जा रही है बल्कि रबी एवं खरीफ दोनों की फसलें भी लेना शुरू कर दी है जीवन में आए इस बदलाव का वह पूरा श्रेय मनरेगा और शासन की अन्य योजनाओं को जाता हैं।

ऐसी ही कुछ कहानी खुमान की है जो 200 मीटर गहरी जगह में निवासरत हैं। दुष्कर जीवन, बिजली और पानी का अभाव में जीते खुमान को मनरेगा ने सहारा दिया। अब कपिलधारा के तहत कूप निर्माण से खुमान के जीवन में खुशहाली आ गई है। 200 मीटर गहरी जगह में भी वह रबी और खरीफ की फसलें उत्पादित कर प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी हासिल कर रहा है।

मनरेगा और शासन की लाभकारी योजनाओं ने भीलबरखेड़ा और यहां के ग्रामीणों की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल डाली है। नालछा ब्लाक का यह छोटा सा गांव आत्मनिर्भरता, स्वालंबन और विकास की नई कहानी कह रहा है।

● प्रीति नीखरा

ग्राम भीलबरखेड़ा, विकासखण्ड-नालछा, जिला-धार सामान्य जानकारी

क्र.	विवरण	संख्या
1	जनसंख्या (शत् प्रतिशत अजजा)	2171
2	कुल परिवार	396
3	बीपीएल. परिवार	132
4	क्षेत्रफल	581.259 हैक्ट.
5	कृषि योग्य भूमि	255.063 हैक्ट.
6	सिंचित क्षेत्रफल	204.050 हैक्ट.
7	वनभूमि का क्षेत्रफल	260.231 हैक्ट

मनरेगा से सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्य

क्र.	कार्य	कार्य संख्या	लागत लाख रू. में
1	भूजल संरक्षण (जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण)	01	1.99
2	शैलपर्ण (जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण)	01	4.97
3	ग्रेवल मार्ग (ग्रामीण सड़क संपर्कता)	09	26.68
4	सी.सी. रोड (अभिरण-पंचपरमेश्वर) (ग्रामीण सड़क संपर्कता)	03	5.46
5	बोल्डर चेक डेम (जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण)	13	5.46
6	कन्टूर ट्रेच (जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण)	02	1.54
7	पेयजल कूप निर्माण (ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य)	04	6.27
8	अन्य कार्य	08	2.20
	योग	**41**	**54.27**
	हितग्राही मूलक कार्य		
	कपिलधारा कूप (सिंचाई सुविधा बागवानी)	108	74.52
1	मेढ़ बंधान (भूमि विकास)	43	10.75
2	भूमि समतलीकरण (भूमि विकास)	34	18.70
3	वर्मी कम्पोस्ट(कृषि से संबंधित कार्य)	13	1.17
	योग	**198**	**105.14**
	महायोग	**239**	**159.41**

निःशक्तजन पुनर्वास सेवा के लिए

होशंगाबाद को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार

होशंगाबाद जिले के निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र में निःशक्तजनों को एक ही स्थान सभी पुनर्वास सेवाएँ जैसे फिजियोथेरेपी चिकित्सा, सहायक उपकरण आदि सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। सम्पूर्ण पुनर्वास केन्द्र को निःशक्तजन अनुकूल और बाधारहित बनाया गया है। साथ ही राज्य शासन द्वारा निःशक्तजनों के लिए समय-समय पर कौशल उन्नयन, सामूहिक विवाह सम्मेलन, स्वरोज़गार के लिए ऋण की व्यवस्था आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। होशंगाबाद में निःशक्त व्यक्तियों के लिए शौचालय निर्माण, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के तहत आवास सुविधा, निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में निःशक्तजन कल्याण योजना के तहत निःशक्तजनों की शिक्षा, रोज़गार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के होशंगाबाद जिले को निःशक्तजनों को बेहतर पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 दिसम्बर को नई दिल्ली में विश्व निःशक्तजन दिवस पर आयोजित निःशक्तजन सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में होशंगाबाद के जिला कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत भी उपस्थित थे। होशंगाबाद जिला कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे द्वारा जिले में निःशक्तजन कल्याण के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिले के निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र में निःशक्तजनों को एक ही स्थान सभी पुनर्वास सेवाएँ जैसे फिजियोथेरेपी चिकित्सा, सहायक उपकरण आदि सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। सम्पूर्ण पुनर्वास केन्द्र को निःशक्तजन अनुकूल और बाधारहित बनाया गया है। साथ ही समय राज्य शासन द्वारा निःशक्तजनों के लिए समय पर कौशल उन्नयन, सामूहिक विवाह सम्मेलन, स्वरोज़गार के लिए ऋण की व्यवस्था आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

होशंगाबाद में निःशक्त व्यक्तियों के लिए शौचालय निर्माण, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के तहत आवास सुविधा, निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे की अगुवाई में होशंगाबाद में चलाए जा रहे निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रम से निःशक्तजनों का विकास की मुख्यधारा में लाना आसान हो गया है। निःशक्तजनों को शिक्षा और रोज़गार जैसी मूलभूत सुविधाएँ मिलने से न सिर्फ उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान होगा बल्कि देश में मध्यप्रदेश के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को उचित सम्मान भी मिलेगा। होशंगाबाद जिले को मिला यह पुरस्कार इसकी एक बानगी है।

● रीमा राय

बच्चों में कुपोषण दूर करने की पहल - वात्सल्य

देश में कुपोषण की समस्या आज भी पैर पसारे हुए है। कुपोषण के चलते कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पहले यह समस्या अकाल ग्रस्त क्षेत्रों या कम पैदावार वाले इलाकों के साथ-साथ गरीब वर्ग में दिखाई देती थी। लेकिन वर्तमान समय में जब सरकार सभी को रियायती दरों पर अन्न उपलब्ध करा रही है, गाँव-गाँव में आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यकर कर रहे हैं फिर भी कुपोषण बना हुआ है।

मध्यप्रदेश से कुपोषण को दूर करने के लिए सतत् प्रयास हो रहे हैं। कुपोषण दूर करने के लिए होशंगाबाद जिले में एक नई पहल की गई है। होशंगाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समग्र वात्सल्य सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, ऊंचाई और शारीरिक माप को प्रविष्ठ किया जाता है इसके बाद सॉफ्टवेयर स्वतः ही बच्चों की ग्रेडिंग करता है। ग्रेडिंग के बाद सॉफ्टवेयर अधिकतम वजन के बच्चों की सूची उपलब्ध कराता है और प्रत्येक बच्चे का ग्रोथ चार्ट भी प्रदर्शित करता है। इस सॉफ्टवेयर में बच्चों की समग्र आई.डी. प्रविष्टि कर बच्चों की सम्पूर्ण पारिवारिक प्रोफाइल जैसे सामाजिक, आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उन्हें रसायन की किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी से कुपोषित और स्वस्थ दोनों बच्चों की सतत् और प्रभावी मॉनीटरिंग होती है।

समग्र वात्सल्य सॉफ्टवेयर से प्राप्त कुपोषित बच्चों की सूची के अनुसार कुपोषित बच्चों को अटल बाल पालक द्वारा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मेपिंग की जाती है। ये अटल बाल पालक बच्चे के स्वास्थ्य सुधार की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें स्वास्थ्य उपचार, परामर्श, पोषण केन्द्र में भर्ती करवाना और बच्चे के परिवार को कुपोषण दूर करने में मदद करना आदी करते हैं ताकि बच्चा कुपोषण से मुक्त हो सके। इस कार्यक्रम के तहत छः महीने में बच्चे को कुपोषण मुक्त कराया जाता है। वात्सल्य सॉफ्टवेयर में अब तक कई बच्चे कुपोषित से सुपोषित हो चुके हैं।

जिला प्रशासन के इस प्रयास की प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है। समग्र वात्सल्य सॉफ्टवेयर को देश में वर्ष 2015 के शीर्ष 200 स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और वर्ष 2013 का प्रतिष्ठित 'स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट' पुरस्कार भी दिया गया है। होशंगाबाद जिले में समग्र वात्सल्य सॉफ्टवेयर कुपोषण को दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, उम्मीद है इस नवाचार को प्रदेश के सभी जिलों के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जाएगा। अगर ऐसा है तो स्वस्थ भारत का सपना मध्यप्रदेश से ही पूरा होगा।

● **मोहन सिंह पाल**

वृद्धजन कल्याण

सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का संकल्प

विश्व वृद्धजन दिवस पर एक अक्टूबर को प्रदेश की जिला पंचायत, डिण्डौरी को जब राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा वर्ष 2015 के वयोश्रेष्ठ सम्मान से विभूषित किया तो यह कोई संयोग नहीं था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दस सालों में समाज में अपनी अस्मिता और अस्तित्व के लिए संघर्षरत वृद्धजन के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किया है और वृद्धजन को समाज में अपेक्षित सम्मान दिलवाने के लिए जो अनुकूल वातावरण बनाया है यह सम्मान उसी का प्रतिफल है। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गठन किया गया। शासन ने सुप्रसिद्ध समाजसेवी न्यायमूर्ति श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। श्री नानकराव वाधवानी आयोग के उपाध्यक्ष बनाये गए थे। इसी वर्ष दस फरवरी को आयोग ने वृद्धजन कल्याण के लिए अपनी अनुशंसाओं का एक व्यापक प्रतिवेदन श्री गोपाल भार्गव, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा था। इन अनुशंसाओं पर सभी सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों ने उच्चस्तरीय बैठकों का आयोजन कर क्रियान्वयन की रूपरेखा भी बना ली है। राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग ने सभी वृद्धजन को आजीविका की सुविधा देने, सुरक्षा प्रदान करने और समाज में सम्मानित स्थान बहाल करने का यत्न किया है। आयोग के सदस्यगण दौलतराम पटेल, श्री बद्रीलाल पाटीदार और श्री गोपालकृष्ण गोदानी ने भी इन अनुशंसाओं को तैयार करने में भरपूर सहयोग प्रदान किया है।

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता - आमतौर पर परिवार के मुखिया के रूप में जब तक स्त्री-पुरुष परिवार का पालन पोषण करते हैं तब तक तो सब कुछ सामान्य होता है मगर सेवानिवृत्ति या अशक्तता के कारण जब वे आजीविका कमाने और परिवार का पालन पोषण करने में अक्षम हो जाते हैं तब आरम्भ होता है उपेक्षा और असम्मान का दौर। मुख्यमंत्री जी ने इसी व्यथा को महसूस कर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अपेक्षित सम्मान के लिए "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007" पारित किया और वे तमाम अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपनी आय अथवा सम्पत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपने बच्चों (वयस्क) अथवा संबंधितों से कानूनी तौर पर भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इस कानून के अन्तर्गत गठित अधिकरण मासिक भरण पोषण की अधिकतम राशि रुपये दस हजार तक का आदेश दे सकता है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद से वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए अव्हेलना करने वाले के लिए पाँच हजार रुपयों तक का जुर्माना या तीन माह तक की सजा अथवा दोनों एक साथ का प्रावधान भी है। इस कानून के अमल को प्रभावी बनाने के लिए तीन सौ बावन भरण

पोषण अधिकरण और पचास अपीलीय अभिकरण भी बनाए गए हैं। अपीलीय अभिकरणों में वर्ष 2014-15 में एक सौ उन्तीस दर्ज प्रकरणों में से चौसठ का निकारण किया गया।

सुविधाएँ जुटाने में भी अग्रणी है मध्यप्रदेश - वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धजन को सभी सामाजिक न्याय योजनाओं का लाभ सुगमता से मुहैया करवाने की दिशा में भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विभिन्न कार्यक्रम बनाये गये हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों मुख्यतः निराश्रितों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर मिले यह तो सुनिश्चित किया ही गया है साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों जो असहाय हैं उनके लिए प्रदेश के चौबीस नगर निकायों में रैन बसेरे बनाए गए हैं इनके अलावा मुख्यमंत्री की पहल पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्यारह धार्मिक स्थलों अमरकंटक, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, नेमावर, दतिया, सलकनपुर, राजगिर, पटनेश्वरधाम में विशेष रैन बसेरे भी बनाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्तारूढ़ होने के बाद जो जनसंकल्प लिए थे उनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए "मनोरंजन केन्द्र के निर्माण की बात भी शामिल थी। मुख्यमंत्री जी की इसी इच्छा को मूर्तरूप देने के लिए सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए "डे केयर सेन्टर" के स्वरूप में मनोरंजन केन्द्र प्रत्येक जिले में निर्मित करने की योजना बनाई थी। इन मनोरंजन केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैरम, शतरंज तथा पठन-पाठन के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएँ और समाचार-पत्र रखे गए हैं। इस समय प्रदेश के छब्बीस जिलों में सैंतीस डे केअर सेन्टर (मनोरंजन केन्द्र) चल रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण एवं संरक्षण के लिए प्रदेश में सड़सठ वृद्धाश्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। हेल्पेज इण्डिया की "अन्तर पीढ़ी सम्पर्क" (इण्टर जनरेशन काण्टेक्ट) योजना के अंतर्गत भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों को अन्तर पीढ़ी सैर करवाई। साथ ही सामाजिक न्याय विभाग प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर "शतायु सम्मान" के रूप में उन वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करता है जो सौ साल की उम्र में हो।

तीर्थाटन के दायित्व का भी निर्वाह - वरिष्ठ नागरिक कल्याण गतिविधियों के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी की पहल का जिक्र अधूरा ही रहेगा यदि हम 'मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना' की चर्चा न करें। मुख्यमंत्री जी ने

वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थाटन की चाह को साकार करने के लिए "मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना" आरम्भ की। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के साठ साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हों उन्हें पच्चीस-पच्चीस सदस्यों के समूह में तीर्थाटन करवाया जाता है। पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक तीर्थाटन में अपने साथ एक पारिचारिक भी ले जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जगन्नाथ पुरी, श्री द्वारका जी, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णोदेवी, शिरडी, तिरुपति, अजमेर शरीफ, काशी, अमृतसर, रामेश्वरम, सम्मेद शिखर, श्रवण बेलगोला, बेलांगी चर्च और नाग पट्टिनम भी ले जाया जाता है।

डॉ. मनोहर विश्वनाथ भाले ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया - देवास के डॉ. मनोहर विश्वनाथ बाले को भी इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 'वयोश्रेष्ठ' वरिष्ठ नागरिक का लाईफ टाईम अचीवमेन्ट अवार्ड प्रदान किया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण संस्था के प्रमुख के रूप में डॉ. भाले ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं। शहर के मण्डूक पुष्कर नागरिकों के सहयोग से जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजन के लिए पांच रुपयों के नाममात्र शुल्क पर भोजन उपलब्ध करवाना भी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. भाले बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने और कम शुल्क पर फीजियोथेरेपी सेन्टर चलाने की योजना भी चला रहे हैं।

प्रोजेक्ट 'सम्पर्क' से मिला सम्मान - जिला पंचायत डिण्डौरी को वर्ष 2015 का वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रोजेक्ट सम्पर्क के प्रभावी अमल के कारण मिला। जिला पंचायत डिण्डौरी ने वरिष्ठ ग्रामीणों को बैंकों की मदद से ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग सुविधाएँ

उपलब्ध करवाई गईं। इस अभियान में एक लाख पच्चीस हजार से अधिक परिवारों के बैंक खाते खोले गए। अभियान के अन्तर्गत विशेष शिविरों का आयोजन कर वृद्धजन में जागरुकता लाने, उन्हें स्वास्थ्य परामर्श देने, कानूनी सहायता देने और सशक्त बनाने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं डिण्डौरी जिले में 'प्रोजेक्ट सम्पर्क' के अंतर्गत एक सौ पैंतीस स्थानों पर 'सम्पर्क केन्द्रों' की स्थापना भी की गई जिससे वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर मिल सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित इन सम्पर्क केन्द्रों में कम्प्यूटर, डाटा कार्ड और प्रिण्टर भी दिये गये हैं। सम्पर्क केन्द्र में वृद्धजन के मनोरंजन के लिए टेलीविजन सेट भी दिए गए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा और कलेक्टर डिण्डौरी छवि भारद्वाज के अनुसार प्रोजेक्ट सम्पर्क से बैगा चक जैसा पिछड़ा अंचल भी लाभान्वित हो रहा है।

● **राजा दुबे**

निःशक्तजन कल्याण में अग्रणी है मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजन कल्याण की जो विभिन्न एवं विशिष्ट योजनाएँ चलाई जा रही हैं उससे प्रदेश में निःशक्तजन कल्याण के व्यापक कार्य हो रहे हैं। राज्य शासन के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 का 'सर्वोत्तम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार' दिया गया था। वर्ष 2014-15 के लिए सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय, भोपाल के डॉ. रोहित त्रिवेदी को आदर्श व्यक्ति दृष्टिहीनता (पुरुष) वर्ग का और इन्दौर की सुश्री राबिया खान और केन्द्रीय विद्यालय भोपाल की संगीत शिक्षिका (श्रीमती) दिव्यता गर्ग को आदर्श व्यक्ति दृष्टिहीनता (महिला) वर्ग का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 के लिए ही निःशक्तजन के लिए बाधामुक्ति वातावरण की व्यवस्था के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उत्कृष्ठ कार्यों का राष्ट्रीय पुरस्कार नगर निगम, ग्वालियर को और निःशक्तजन के लिए समुचित पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए समुचित पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इन्दौर जिले को दिया गया। वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश को छः राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा की अशासकीय संस्था 'स्नेह' के मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का गौरवपूर्ण अवसर भी मिला।

निःशक्तजन कल्याण के लिए हो रहे हैं व्यापक संस्थागत प्रयास - मध्यप्रदेश में निःशक्तजन कल्याण के क्षेत्र में व्यापक संस्थागत प्रयास भी किये जा रहे हैं। निःशक्तजन के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए प्रदेश में बीस शासकीय संस्थाएँ हैं। प्रदेश के सात शहरों भोपाल, सागर, खरगोन, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन और इन्दौर में दृष्टि एवं श्रवण बाधित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जबकि सात शहरों इन्दौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन और भोपाल में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए पुनर्वास गृह चलाये जा रहे हैं। दो शहरों इन्दौर और भोपाल में अस्थिबाधितों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं। संस्थागत प्रयासों के अंतर्गत ही जबलपुर में दो पृथक-पृथक दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित निःशक्तजन के कल्याण के लिए संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। जबलपुर में निःशक्तजन कल्याण के लिए राज्य निःशक्तजन कल्याण संस्थान और इन्दौर में राजकीय वयस्क श्रवण बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान कासंचालन किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में इन संस्थाओं के संचालन के लिए 1704.25 लाख रुपयों का बजट रखा गया था इसके माध्यम से जनवरी 15 तक 1725 निःशक्तजन लाभान्वित हुए थे। शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्तजन के लिए समग्र पुनर्वास के लिए 23 जिलों में विकलांग पुनर्वास केन्द्र भारत

शासन की सहायता से और 26 जिलों में विकलांग पुनर्वास केन्द्र राज्य शासन की सहायता से चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में निःशक्तजन कल्याण के क्षेत्र में 320 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से इकतालिस स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन संस्थाओं के माध्यम से निःशक्तजन की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा की जाती है, उन्हें कृत्रिम अंग दिये जाते हैं उन्हें सहायक उपकरण दिये जाते हैं साथ ही शिक्षण-प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं दी जाती हैं। दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भी संस्थाओं को सहायक अनुदान भी दिया जाता है।

निःशक्त विद्यार्थियों को भी व्यापक सहायता दी जाती है - प्रदेश में निःशक्त कल्याण की दिशा में पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भी विभाग शिष्यवृत्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं दृष्टिबाधित बच्चों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पॉलीटेक्निक सहित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वाचक भत्ता तथा कक्षा आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं में नियमित प्रवेश पर भी एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मन्दबुद्धि, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित (दोनों हाथ न होने पर) निःशक्त छात्र-छात्राओं को दसवीं में पहली बार प्रवेश लेने पर पहली बार और स्नातक अथवा पॉलीटेक्निक की कक्षाओं में दूसरी बार प्रवेश लेने पर लेपटॉप दिया जाएगा जबकि दोनों पैरों से चलने में अक्षम अस्थिबाधित को इन्हीं उपलब्धि पर मोट्रेट ट्रायसिकल दी जायेगी। मध्यप्रदेश में निःशक्त छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता और परिवहन भत्ता भी दिया जाता है। कक्षा ग्यारहवीं और इससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय अथवा महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा नहीं है उन्हें छात्रगृह योजना के अंतर्गत पाँच-पाँच के समूह में मकान किराया दिया जाएगा। निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति और सिविल सेवा में प्रवेश

परीक्षा के कोचिंग के लिए प्रोत्साहन सहायता भी निःशक्तजन विद्यार्थियों को दी जाती है।

पेंशन सहित पुनर्वास की व्यापक व्यवस्था है निःशक्तजन के लिए - केन्द्र सरकार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अट्ठारह से उन्यासी वर्ष आयु के निःशक्तजन को प्रतिमाह तीन सौ रुपये पेन्शन दी जाती है। राज्य शासन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत छः से अट्ठारह वर्ष तक के ऐसे निःशक्त जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें एक सौ पचास रुपये प्रतिमाह की पेन्शन दी जाती है। प्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहु विकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति को पाँच सौ रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी निःशक्त युवा-युवती के विवाह पर एक से निःशक्त होने पर पच्चीस हजार एवं दोनों के निःशक्त होने पर पचास हजार रुपये की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रदेश में ऐसे बच्चे जिनमें जन्म से अथवा जन्म के बाद सुनने और बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है उनकी शल्य चिकित्सा के लिए 'मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना 2017 भी आरम्भ की गई है।'

निःशक्तजन का समग्र पुनर्वास ही शासन का संकल्प है - राज्य शासन निःशक्तजन के समग्र पुनर्वास के संकल्प के साथ निःशक्तजन के आर्थिक सामाजिक एवं शारीरिक पुनर्वास का हरसम्भव प्रयास कर रहा है। निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन तथा उपकरण मुहैया करवाने की योजना के साथ ही उनके शल्य चिकित्सा की तजवीज भी की जाती है। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस 3 दिसम्बर को निःशक्तजन के सामर्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ एवं आयोजन करवाये जाते हैं। समग्र पुनर्वास का स्पर्श अभियान भी एक समग्र और सुनिश्चित हितसाधन वाली योजना है। इसी दिशा में कौशल विकास प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से पुनर्वास के लिए वित्त पोषण भी एक अच्छी पहला है।

'खुश्बू' और 'छुअन' से अनुभूति : किसी भी उद्यान को सबसे ज्यादा खुशनुमा तरीके से तब महसूस किया जा सकता है जब आप उद्यान के पेड़-पौधों और रंग-बिरंगें फूलों को देख कर प्रमुदित हो जाएं। इसे उद्यान की चाक्षुण अनुभूति कहा जाता है मगर क्या दृष्टिबाधित निःशक्तजन ऐसी चाक्षुष अनुभूति का आनन्द ले पाते हैं? उत्तर होगा 'नहीं' मगर होशंगाबाद कलेक्टर की कल्पनाशीलता से एक ऐसा उद्यान होशंगाबाद में बनेगा जहाँ दृष्टिबाधित निःशक्तजन उद्यान में खिले फूलों की खुश्बू और छुअन से आनन्दित हो सकेंगे। तकरीबन पचास लाख रुपयों की लागत से बनने वाला यह उद्यान प्रदेश में अपने तरह का पहला ही 'स्मेल इट, टच इट, गार्डन' होगा।

● **आदित्य दुबे**

निःशक्तजन का हौसला दिखाती चित्र प्रदर्शनी

निःशक्तजनों के सपने होते 'साकार'

आंखों में खुशी, चेहरे पर चमक और दिल में हौसला लिए सैकड़ों मासूम, किसी को फिर से हाथ मिला तो कोई फिर से चलने और दौड़ने को बेकरार। अब तक बोझिल सी लगने वाली जिंदगी में जैसे फिर से रंग भर गए। अपनों की छलछलाती आंखें जैसे सालों की पीड़ा को पल भर में कह गईं। किसी को देख लगा जैसे सारा आसमां मिल गया हो तो कहीं लगा कि बस अपने कदमों में दुनिया होगी। क्या हुआ जो थोड़े कमजोर हैं मगर इरादों मजबूत हैं। ये नजारा है विश्व विकलांग दिवस पर भोपाल में आयोजित दो दिवसीय दुर्लभ फोटो प्रदर्शनी 'साकार' का। 'साकार' प्रदर्शनी का शुभारंभ मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने किया। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग के छायाकार शरद श्रीवास्तव ने निःशक्तजनों के उन दुर्लभ मार्मिक पलों को कैद कर उनकी पीड़ा, आशाओं और उनके हौंसलों को दिखाकर आम जनता में जनजागृति लाने की कोशिश की है। प्रदर्शनी में शासन स्तर पर इन लोगों को शिक्षा, ट्रेनिंग, खेलकूद, मनोरंजन, रोज़गार सहायता एवं पुनर्वास आदि पर केन्द्रित सुविधाओं से भी रूबरू कराया गया है। निःशक्तजनों पर आधारित यह 'साकार' प्रदर्शनी सभी व्यक्तियों को जीवन में कुछ कर गुजरने के लिये प्रेरणास्त्रोत है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी शारीरिक निःशक्तता व्यक्ति के प्रगति को बाधित नहीं कर सकती है। आज हम देख रहे हैं कि निःशक्तजन व्यक्ति अपनी निःशक्तता को अभिशाप न मानते हुए उसे चुनौती के तौर पर स्वीकार करते हुए प्रगति की ओर अग्रसर है। वैसे तो उन्हें पग-पग पर विविध प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना पड़ता है, किन्तु कुछ समस्याओं के निराकरण के लिये मध्यप्रदेश शासन का सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए, उन्हें प्रगति पथ की ओर आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। इन्हीं मार्मिक क्षणों को कैमरे में सहेज कर बोलते हुए छायाचित्र के माध्यम से उनकी अभिलाषा को प्रगट करते हुए प्रेरणा के प्रतीक स्वरूप 'साकार' प्रदर्शनी लगाई गई है।

आज जरूरत है उनका मनोबल बढ़ाने, उन्हें सहयोग प्रदान करने तथा उन्हें ईर्ष्या व द्वेषभावना से दूर रखते हुए प्रोत्साहित करने की। इस प्रदर्शनी में निःशक्त व्यक्तियों के कार्य, उनकी इच्छाशक्ति व उनके मन की कल्पना को प्रदर्शित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। निःशक्तजनों की दिनचर्या, उनके अध्ययन का तरीका, खेलों के प्रति उनकी रुचि, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका प्रदर्शन, उनकी आशा, उनके बुलंद हौसलों से बेहद प्रभावित होकर इस 'साकार' प्रदर्शनी की मुझे प्रेरणा मिलती है। इस 'साकार' प्रदर्शनी को प्रत्येक व्यक्ति अवश्य देखे व आधारस्तम्भ बनकर उनका मनोबल बढ़ायें।

आज प्रत्येक आयु वर्ग में अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, मूक-बधिर, मस्तिष्क बाधित, इस तरह विभिन्न प्रकार के निःशक्तजन हैं, जो अपनी निःशक्तता को चुनौती के रूप में स्वीकार करने का बुलंद हौसला रखते हैं, किन्तु धन के अभाव में अक्षम हैं। यदि इस अभाव को हम दूर कर सके तो निश्चित ही उनके उत्थान में यह मील का पत्थर साबित होगा। किसी निःशक्तजन को उसकी कल्पना के अनुरूप प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए की गई सेवा ही सच्ची मानव सेवा है।

● शरद श्रीवास्तव

प्लास्टिक मल्चिंग से खेती बनी लाभ का धंधा

मध्यप्रदेश विकास पथ पर निरंतर बढ़ रहा है। यह विकास अब शहरों के साथ-साथ गांवों तक पहुँचने लगा है जिससे किसान भी अब खेती की पारंपरिक तकनीकों के साथ-साथ खेती में आधुनिक प्रयोग करने लगे हैं।

वैज्ञानिक तकनीक से टमाटर और मिर्च का रिकॉर्ड उत्पादन कर जिले के एक किसान ने उन्नत खेती का एक नया आयाम पेश किया है। हम बात कर रहे हैं देवास जिले के कन्नौद विकासखंड की ग्राम पंचायत डाबरी बुजुर्ग के किसान अयूब खां की। जिन्होंने म.प्र. शासन के ध्येय वाक्य 'खेती को बनाए लाभ का धंधा' को सच साबित कर दिखाया है। उद्यानिकी विभाग से तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्राप्त कर अयूब खां ने अपनी पारम्परिक खेती के साथ ही वैज्ञानिक खेती को भी आजमाया और कम समय में ही टमाटर और मिर्च से ही अच्छा खासा लाभ अर्जित किया है।

वर्ष 2012-13 तक अयूब खां पारंपरिक खेती ही करते थे और रबी और खरीफ की फसलों पर ही निर्भर रहते थे। अयूब खां को इन फसलों से औसतन 1.75 लाख रुपए वार्षिक आय ही होती थी। परन्तु जब उन्हें उद्यानिकी विभाग की सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना का पता लगा तो आगे आकर उन्होंने सब्जी क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों को जाना व समझा, साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्ष 2014-15 में उन्होंने प्लास्टिक मल्चिंग से 1 हैक्टेयर में टमाटर व 1 हैक्टेयर में मिर्च की खेती की खेती का कार्य प्रारंभ किया। जिसके लिए उन्हें 57000 रुपए अनुदान भी प्राप्त हुआ।

अयूब खां के पास नलकूप और कुएं की सुविधा पहले से थी। इस सुविधा ने सोने पे सुहागा का काम किया। मल्चिंग अपनाने से कम पानी व कम दवा का उपयोग हुआ। जिससे खेती की लागत में कमी आई, और मेहनत व पानी दोनों की बचत हुई।

वर्ष 2015-16 के मध्य तक अयूब खां ने टमाटर में 22 टन के लगभग और मिर्च में 29 टन तक रिकॉर्ड उत्पादन किया। जहां उन्होंने टमाटर को 7 रुपए प्रति किलो की दर से विक्रय कर 1,54,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई तथा लागत व्यय 54,000 रुपए घटाकर उन्हें एक लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। इसी प्रकार मिर्च में उन्होंने 18 रुपए प्रतिकिलो की औसत से बिक्री कर 5,22,000 रुपए की राशि प्राप्त की, जिसमें से 1,25,000 रुपए की लागत व्यय घटाकर शुद्ध 3,97,000 रुपए का लाभ अर्जित किया।

इस प्रकार अयूब खां ने 4,97,000 रुपए का वार्षिक शुद्ध लाभ प्राप्त किया। इस बड़ी रकम के अयूब खां का जीवन खुशहाली की ओर चल पड़ा। इस रकम से अयूब खां ने अपना कच्चा मकान अब पक्का बनवा लिया है। अपने व अपने बच्चों के लिए दो मोटर साइकिल भी ले ली है तथा गांव के आवागमन के साधनों में अब उनकी टाटा मैजिक भी शामिल हो गई है। इस मैजिक के आने से न केवल ग्रामीण जनों को आने-जाने की राह आसान हुई बल्कि जरूरत अनुसार अयूब खां इसी मैजिक से अपनी सब्जियां भी मंडी तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी पुत्री की शादी भी धूमधाम से संपन्न कराई है।

अयूब ने अपनी इस सफलता का श्रेय शासन की योजनाओं को देते हुए कहा कि उद्यानिकी विभाग से मिले उचित मार्गदर्शन और अनुदान से ही मेरी फसलें लहलहा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मल्चिंग खेती के लिए वरदान है।

● डॉ. आर.एस. पटेल

पंचायती राज में गोचर भूमि

गोचर भूमि एक राजस्व शब्द ही नहीं है, यह एक सांस्कृतिक-धार्मिक स्मृतियों से अनुरंजित अभिधान है। हमारे अतीत में समस्त ग्राम-नगरों की सारी दिशाओं में थोड़ी दूर तक चरनोई भूमि रहती थी। अपनी व्यक्तिगत भूमि का गोचारण के लिए दान गोचर उत्सर्ग-कर्म कहलाता था। भारतीय वाङ्मय में गोचर भूमि के महत्व और वर्तमान पंचायत राज व्यवस्था में परिदृश्य को रेखांकित कर रही हैं मुक्ति श्रीवास्तव।

गोचर भूमि एक राजस्व शब्द ही नहीं है, यह एक सांस्कृतिक-धार्मिक स्मृतियों से अनुरंजित अभिधान है। हमारे अतीत में समस्त ग्राम-नगरों की सारी दिशाओं में थोड़ी दूर तक चरनोई भूमि रहती थी। अपनी व्यक्तिगत भूमि का गोचारण के लिए दान गोचर उत्सर्ग-कर्म कहलाता था। इसके लिए पूजा के विधान बनाए गए थे। भविष्यपुराण में सूतजी बोलते हैं :

ब्राह्मणो! अब मैं गोचर-भूमि के विषय में बता रहा हूँ, आप सुनें। गोचर भूमि के उत्सर्ग-क्रम में सबसे पहले लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की यथाविधि पूजा करनी चाहिए इसी प्रकार ब्रह्मा, रूद्र, करालिका, बराह, सोम, सूर्य और महादेव जी की क्रमशः विविध उपचारों से पूजन करें। हवन कर्म में लक्ष्मीनारायण को तीन-तीन आहुतियां घी से दें। क्षेत्रपालों को मधुमिश्रित एक-एक लाजाहुति दे, गोचर भूमि का उत्सर्ग करके विधान के अनुसार यूप की स्थापना करें तथा उसकी अर्चना करें। वह यूप तीन हाथ का ऊँचा और नागकणों से युक्त होना चाहिए। उसे एक हाथ से भूमि के मध्य में गाड़ना चाहिए। अनन्तर 'विश्वेषा' (तद्व, 10/2/67 इस मंत्र का उच्चारण करें और 'नागाधिपतये नमः' 'अच्युताय नमः' तथा 'भौमाय नमः' कहकर यूप के लिए लाना निवेदित करें। मशि गृह्यम्य (यजु. 13/1) इस मंत्र से रूद्रमूति-स्वरूप उस यूप की पंचोपचार पूजा करें। आचार्य को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें तथा हो सके तो एवं अन्य ऋत्विजों को भी अभीष्ट दक्षिणा दें। इसके बाद उस गोचर भूमि में रत्न छोड़कर इस मन्त्र को पढ़ते हुए गोचर भूमि का उत्सर्ग कर दें -

शिवलोकस्तथा गावः सर्वदेवसुपूजिताः।
गोभय एषा मया भूमिः सम्प्रदत्ता शुभार्थिना।।
(मध्यमपर्व 3/2/12-13)

शिवलोकस्वरूप यह गोचर भूमि, गोलोक तथा गौएं सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं इसलिए कल्याण की कामना से मैंने यह भूमि गौओं के लिए प्रदान कर दी हैं।

मध्यमपर्व में यह भी कहा गया है- 'इस प्रकार जो समाहित-चित्त होकर गौओं के लिए गोचर भूमि समर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में पूजित होता है, गोचर भूमि में जितनी संख्या में तृण, गुल्म उगते हैं, उतने हजारों सालों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है।'

इसके साथ ही उसके सुनिश्चित सीमांकन का भी महत्व था :

'गोचर भूमि की सीमा भी निश्चित करनी चाहिए। उस भूमि की रक्षा के लिए पूर्व में वृक्षों का रोपण करें। दक्षिण में सेतु (मेड़) बनाये, पश्चिम में कटीले वृक्ष लगाये और उत्तर में कूप का निर्माण करें। ऐसा करने से कोई भी गोचर भूमि की सीमा का लंघन नहीं कर सकेगा। उस भूमि को जलधारा और घाटी से परिपूर्ण करें। नगर या ग्राम के दक्षिण दिशा में गोचर भूमि छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजन से गोचर भूमि को जोतता, खोदता या नष्ट करता है, वह अपने

कुलों को पातकी बनाता है और अनेक ब्रह्म हत्याओं से आक्रान्त हो जाता है।' इसी के साथ सत्कर्म के लिए पुरस्कार भी था -

'जो भली-भांति दक्षिणा के साथ गोचर भूमि का दान करता है, वह उस भूमि में जितने तृण है, उतने समय तक स्वर्ग और विष्णुलोक से च्युत नहीं होता।'

गोचर भूमि एक श्लोक के अनुसार उस भूमि को कहते थे जिस गोचर भूमि में सौ गायें और एक बैर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हों। ऐसी भूमि दान करने से सभी पापों का नाश होता हैं।

गवां शतं वृषश्चैको यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितः।
तद्गोचर्मेति विख्यातं दत्तं सर्वाघनाशन्।।

अन्य बृहस्पति, वृद्धहारीत, शातातप, आदि स्मृतियों के अनुसार लगभग 3000 हाथ लंबी-चौड़ी भूमि की संज्ञा गो-चर्म है। बहरहाल माना यह गया :

'वषोत्सर्ग में जो भूमि दान करता है, वह प्रेतयोनि को प्राप्त नहीं होता। गोचर भूमि के उत्सर्ग के वक्त जो मण्डप निर्माण किया जाता है उसमें भगवान वासुदेव और सूर्य का पूजन तथा तिल, गुड़ की आठ-आठ आहुतियों से हवन करना चाहिए। देहि में (यजु. 3/50) इस मन्त्र से मंडप के उपर चार शुक्ल घट स्थापित करें। इसके बाद सौर-सूक्त और वैष्णव सूक्त का पाठ करें। आठ वट पत्रों पर आठ दिक्पाल देवताओं के चित्र या प्रतिमा बनाकर उन्हें पूर्वादि आठ दिशाओं में स्थापित करें और पूर्वादि दिशाओं के अधिपतियों - इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति आदि से गोचर भूमि की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद चारों वर्णों की मृग एवं पक्षियों की अवस्थिति के लिए विशेष रूप से भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए गोचर भूमि का उत्सर्जन करना चाहिए। गोचर भूमि के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर घास के जीर्ण हो जाने पर तथा पुनः घास उगाने के लिए पूर्ववत प्रतिष्ठा करनी चाहिए जिससे गोचर भूमि अक्षय बनी रहे। प्रतिष्ठा कार्य के निमित्त भूमि के खोदने आदि में कोई जीव जन्तु मर जाए तो उससे मुझे पाप न लगे, प्रत्युत धर्म ही हो और इस गोचर भूमि में निवास करने वाले पशु पक्षियों, जीव जन्तुओं का आपके अनुग्रह से निरन्तर कल्याण हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद गोचर भूमि को त्रिगुणित पवित्र धागे द्वारा सात बार आवेष्टित कर दे। आवेष्टन के समय 'सुत्रामाणं पृथिवीं' (ऋ. 10/63/10) इस ऋचा का पाठ करें।

मैंने विस्तार से यह शास्त्रीय प्रसंग एक विरोधाभास को रेखांकित करने के लिए उद्धत किया है। परंपरा में यह स्वीकृत है कि व्यक्ति की भूमि गोचर के सामुदायिक प्रयोजन में व्यवहृत होने के लिए दान दी जाए। आधुनिक राज्य और शासन में यह स्वीकृत है कि सामुदायिक गोचर की निस्तार भूमि का व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए पट्टे की शक्ल में निवारण हो।

अपनी सांस्कृतिकता को त्याग औपनिवेशिक जुए को ढोते रहने की नीति ने राज्य में गोचर भूमियों की ये दुर्दशा की। अंग्रेजों ने इस गोचर भूमि की सामूहिकता और पंचायतीपन को शनैः-शनैः नष्ट किया। उनको और उनकी अंग्रेजी शिक्षा में दीक्षित साहबों को उत्तर पूर्व में भगवान श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर से यह कहना तो बकवास ही लगेगा-

क्षीरोदतोय सम्भूता याः पुरामृतमन्थने।
पंचगावः शुभाः पार्थ पंचलोकस्य मातर।।
नन्दा सुभ्रदा सुरभि सुशीला बहुला इति।
एता लोकोपकाराय देवानां तर्पणायच।।
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधाकृतम।
एकत्र मन्त्रातिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति।।

पार्थ। समुद्र मन्थन के समय क्षीरसागर से पांच लोकों की मातृस्वरूप, कल्याणकारिणी जो गौएं उत्पन्न हुई थीं, उनके नाम थे नन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये समस्त गौएं सभी लोकों के कल्याण और देवताओं को भविष्य के द्वारा परितृप्त करने के लिए आविर्भूत हुई थी। ब्राह्मण और गौ ये दो नहीं हैं, अपितु एक ही कुल के दो रूप या पहलू हैं ब्राह्मण में तो मंत्री का निवास है और गौ में भविष्य स्थित है, इन दोनों के संयोग से ही विष्णु स्वरूप यज्ञ निष्पदन्न होता है (यज्ञो वै विष्णुः)

लेकिन वे श्लोक मैंने उद्धृत एक आलंकारिक और सारगर्भित शब्द-चमत्कार की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया है। 'पंचलोक' शब्द का प्रयोग कर कृष्ण पंचायती व्यवस्था की ही ओर इशारा तो नहीं कर रहे थे। गोचर और पंचायतों में हमेशा से एक अन्योन्याश्रित रिश्ता रहा है। आखिरकार यह प्रसंग आया भी तो भविष्यपुराण के उत्तरपर्व में है। उस त्रिकालदर्शी ने भविष्य भी देख लिया हो क्या पता।

लेकिन कृष्ण पर इतना विश्वास अंग्रेजी सत्ता तो कर नहीं सकती थी। गोपाल और गौपूजक संस्कृति के सामूहिक अस्तित्व के तर्क कुकुर-पूजक संस्कृति के साहब नहीं समझ सकते थे। गौ और गोचर तो हमेशा 'दूसरे' की 'देवता' मानकर उनका सत्कार करने, अपना कुछ दान करने के प्रतीक थे। लेकिन कुकुर-पूजन तो दूसरे को 'जहर' मानने वालों के लिए ही आवश्यक था। इसलिए 'कामन्स' के विरुद्ध एक के बाद एक निर्णय हुए। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक भूमियों के नियंत्रण का काम स्थानीय समुदाय को देने का प्रयोग देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं किया गया हैं, लेकिन प्रायः हर जगह यह प्रयोग असफल रहा हैं। महाराष्ट्र में गोचर भूमि का नियंत्रण और निवर्तन ग्राम पंचायतों के हाथ में है, लेकिन जैसा कि मई 1995 को वेजेनाइन्जेन कृषि विश्वविद्यालय में कृषि प्रश्नों पर हुई अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में पढ़ गए एक शोध पत्र में मिलिंद बोकिल ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतें 'गैरान' जमीनों पर अतिक्रमण रोकने में एकांतिक रूप से असफल सिद्ध हुई है। मिलिंद बोकिल का निष्कर्ष है कि 'यह इसलिए हुआ कि गैरान (म.प्र. गोचर) ग्राम पंचायतों के द्वारा नियंत्रित हो रही थीं जो कि संगठित राजस्व और वन विभागों की तुलना में एक कमजोर राजनीतिक निकाय हैं।' पारम्परिक ग्रामीण प्राधिकार सशक्त था, लेकिन जब उसे चुने हुए प्रतिनिधियों से प्रतिस्थापित किया गया, उसका चरित्र बदल गया, कई मामलों में ग्राम-स्तरीय सत्ता-समीकरण का लाभ लिया गया। तो स्थिति यह बनती है कि जो जमीनें रुपए के हिसाब से कीमती है, उनके लिए तो लैंड पूल है, लेकिन जो जमीनें जैविक-चक्र के हिसाब से कीमती हैं, उनके लिए शिथिल पंचायत व्यवस्था है जो मुख्यतः अप्रिय बलाओं को पंचायतों के मत्थे मढ़ने के लिए नौकरशाही की एक चतुर दिमागी सूझ का प्रतिबिंबन है।

जिला एवं जनपद पंचायत निधि से राशि का आहरण

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में पंचायत निधि बनाने का प्रावधान है। जिसके तहत प्रत्येक पंचायत एक निधि बनाएगी, जो पंचायत निधि कहलाएगी। जिला और जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ही इस निधि से राशि का आहरण कर सकता है। जिसके लिए जिला या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन लेना होगा। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 2-39/22/पं-1/2014/987/2015 **भोपाल, दिनांक 19.05.2015**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश

विषय - जिला पंचायत/जनपद पंचायत निधि से राशि आहरण के संबंध में।

संदर्भ - मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ 16-8/97/22/पं-2/दिनांक 3 फरवरी 1997।

2. पत्र क्रमांक 2490/पं-2/2001 दिनांक 20.09.2001
3. पत्र क्रमांक एफ-2-39/22/पं-1/2003 दिनांक 11.12.2006
4. पत्र क्रमांक एफ-2-39/22/पं-1/2003 दिनांक 03.01.2007
5. पत्र क्रमांक एफ-2-39/22/पं-1/2003 दिनांक 07.07.2007

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 में वर्णित प्रावधान अनुसार पंचायत निधि के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त समस्त आदेशों को अधिकमित किया जाता है।

2. धारा 66 (1) प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी, जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी।"

3. धारा 66 (4) पंचायत निधि से समस्त खाते -

(दो) "यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर से निकाली जाएगी।" 4. ऐसी समस्त रकमों हेतु जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन लेना होगा। 5. मध्यप्रदेश ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना/पीएमजीएसवाई/सीएमजीएसवाई/सुदूर सड़क योजना/सांसद/विधायक क्षेत्र विकास निधि/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित राशि जो पंचायत निधि में जमा न की जाकर पृथक खातों में जमा होती है एवं उससे संबंधित आय एवं व्ययों के ब्यौरे भी पृथक लेखा पुस्तिका में संधारित होते हैं। ऐसी निधियों का उपयोग केवल उसी कार्य का प्रयोजन के लिये तथा उनसे संबंधित ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाता है जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में साधारणतः या विशेषतः जारी किये जाते हैं। ऐसी योजनाओं की जानकारी केवल जिला/जनपद पंचायतों का सामान्य सभा की बैठक में उपलब्ध कराई जावेगी। 6. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तथा राज्य सरकार प्रवर्तित योजनाओं की राशि जारी होने के पूर्व अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक नहीं है। ऐसी समस्त योजनाओं की राशि जारी करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत अधिकृत होंगे।

(शोभा निकुंम)
अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग